

अध्याय 4

सतत और वैज्ञानिक खनन

लघु खनिजों को वर्ष 2006 में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत लाया गया था, जिसके तहत पाँच हेक्टेयर से अधिक के पट्टों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लघु खनिजों के सतत खनन के लिए दिशानिर्देश विकसित करने हेतु एक समूह का गठन किया। प्रतिवेदन यह अनुशंसा करती है कि केंद्रीय खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) और राज्य सरकारें मॉडल दिशानिर्देश अपनाएं और लघु खनिज समानुदान नियमावलियों के तहत आवश्यक प्रावधान करें। भारतीय खान ब्यूरो ने लघु खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 2010 को अंतिम रूप दिया (जून 2011)। परिणामतः, आईबीएम के मॉडल दिशानिर्देश प्रारूप को अपनाते हुए, खनन योजना और पर्यावरण संरक्षण पर फरवरी 2014 में अध्याय 4A, मई 2014 में 4B और मार्च 2019 में 4C को झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली, 2004 में शामिल किया गया।

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के अनुसार, वैज्ञानिक खनन का तात्पर्य खनन योजना और स्कीम के अनुसार खनन गतिविधियों को कार्यान्वित करना है। झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 5 और 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न एजेंसियों से मंजूरी और अनुमोदन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि खनन गतिविधियां टिकाऊ और वैज्ञानिक प्रकृति की हैं। इन आवश्यक अनुमोदनों का विवरण और उनमें विभिन्न एजेंसियों की भूमिका, चार्ट-4.1 में दर्शाई गई है।

चार्ट-4.1: सतत और वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका

केंद्र सरकार/सीआ से पर्यावरणीय स्वीकृति

- श्रेणी ए की खदानों केन्द्र सरकार से तथा श्रेणी बी की खदानों सीआ से।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति

- स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति

भूजल निदेशालय, झारखण्ड सरकार/केन्द्रीय भूजल बोर्ड से स्वीकृति

- खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित होना चाहिए ताकि यह इसे प्रतिच्छेदित न करे। भूजल स्तर से नीचे काम करने के मामले में भूजल निदेशालय, झारखण्ड सरकार/केन्द्रीय भूजल बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी से स्वीकृति

- निकटतम वन सीमा से पट्टे की दूरी कम से कम 250 मीटर होनी चाहिए। भारत सरकार से पूर्व वन स्वीकृति प्राप्त किए बिना वन क्षेत्र में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

भू-राजस्व विभाग के अंचल अधिकारी से स्वीकृति

- आवेदित खनन पट्टा क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई मानव निवास स्थान नहीं होनी चाहिए तथा खनन पट्टे में शामिल भूमि की श्रेणी के बारे में स्वीकृति आवश्यक है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के निर्देशों के

अनुरूप सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना है

- डीजीएमएस के निर्देशानुसार, बैंचों की ऊंचाई और ढलान को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

4.1 खनन योजना

जिला खनन कार्यालय से आशय का पत्र प्राप्त होने के बाद, खनन पट्टे के आवेदक को खनन योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है। खनन योजना वैज्ञानिक और सतत खनन के अनुपालन हेतु मूलभूत आधार प्रदान करता है। खनन योजना में खनिजों की स्वीकृत वार्षिक अनुमानित मात्रा को ही, पर्यावरणीय स्वीकृति, स्थापना की सहमति (सीटीई और संचालन की सहमति (सीटीओ)³⁹ में निर्दिष्ट उत्पादन मात्रा निर्धारित करने के आधार के रूप में अंगीकृत किया जाता है। झारखण्ड में लघु

³⁹ परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीटीई और सीटीओ दिया जाता है।

खनिजों के लिए खनन योजना तैयार करने और अनुमोदन की प्रक्रिया चार्ट-4.2 में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट-4.2: लघु खनिजों के लिए खनन योजना तैयार करने और अनुमोदन की प्रक्रिया

खनन योजना का प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन

1. आवेदक द्वारा अनुमोदन हेतु संबंधित स.ख.प./जि.ख.प. को खनन योजना प्रस्तुत करना है, जिसे प्रस्तुत करने के सात दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाना है।
2. स.ख.प./जि.ख.प. द्वारा खनन योजना के अनुमोदन में विलंब के मामले में उप-निदेशक, खान द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित करना है।

खनन योजना की समीक्षा और अद्यतीकरण

खनन पद्धाधारी खनन योजना के प्रथम पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व खनन योजना की समीक्षा या अद्यतीकरण करने के लिए स.ख.प./ जि.ख.प. को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

खनन पद्धाधारी द्वारा खान समापन योजना का प्रस्तुतीकरण तथा स.ख.प./ जि.ख.प. द्वारा उसका अनुमोदन

1. प्रारम्भिक खनन योजना के साथ प्रगामी खान समापन योजना भी प्रस्तुत करना है।
2. खदान के प्रस्तावित बंद करने की तिथि से एक वर्ष पूर्व अंतिम खान समापन योजना प्रस्तुत करना है और स.ख.प./जि.ख.प. द्वारा इसकी प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अन्दर उसे अनुमोदित करना है।

4.1.1 खनन योजना की तैयारी और अनुमोदन की प्रक्रिया में कमियाँ

ज्ञा.ल.ख.स. नियमावली ने आईबीएम द्वारा प्रसारित मॉडल लघु खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 2010 में दिए गए खनन योजना प्रारूप को अपनाया। लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे सामान्यतः 10 वर्ष (पुनः नवीकरण के प्रावधान के साथ) की अवधि के लिए स्वीकृत किये जाते हैं। 10 वर्षों की पूरी पट्टा अवधि के लिए खनन योजना का अनुमोदन दो भाग में, प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।

पहला भाग (खनन योजना, यहाँ से प्रथम योजना) में भूत्तव और अन्वेषण, अपेक्षित वार्षिक उत्पादन, खनन, प्रसंस्करण और पर्यावरण प्रबंधन योजना का अध्याय है। दूसरा भाग (खनन योजना, यहाँ से द्वितीय योजना) में प्रथम पाँच-वर्षीय योजना की समीक्षा पर एक अध्याय के अतिरिक्त प्रथम योजना के आधार पर वार्षिक उत्पादन, अन्वेषण, पर्यावरण प्रबंधन इत्यादि पर अध्याय है। खनन योजना के दोनों भागों की अलग-अलग स्वीकृति आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने चयनित छह जिलों के फरवरी 2009 से मार्च 2022 के दौरान स्वीकृत किए गए 74 पत्थर खनन पट्टों और उसके खनन योजनाओं का जाँच किया एवं निम्नलिखित कमियाँ पाईं :

- i) खनन योजना के मूल्यांकन पर आईबीएम मैनुअल (2014) की कंडिका 3.3 के अनुसार, नए पट्टे के मामलों में खनन योजना को केवल मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति⁴⁰ (आरक्यूपी) और आवेदक के प्रतिनिधि के साथ स्थल निरीक्षण किए जाने के बाद ही अनुमोदित किया जाएगा। यद्यपि, 64 नए पट्टे, जिनकी पट्टा अवधि फरवरी 2009 से जनवरी 2032 के बीच थे, के मामलों में अनुमोदन-प्राधिकारियों द्वारा आवेदक/आरक्यूपी के साथ पट्टा क्षेत्र के स्थल निरीक्षण के समर्थन में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, किसी भी मामले में आवेदकों द्वारा अनुमोदन-प्राधिकारियों को खनन योजना प्रस्तुत करने की तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया। केवल स्वीकृत खनन योजना के साथ सर्त-अनुमोदन-पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए। इन घटनाओं के दस्तावेजी साक्ष्य का न होना खनन योजना के समीक्षा एवं अनुमोदन के प्रक्रिया की सम्पूर्णता एवं पारदर्शिता के संबंध में प्रश्न उत्पन्न करता है।
- ii) नमूना जाँचित सभी 74 पट्टों के खनन योजना में प्रमाणित भण्डार के विस्तृत अन्वेषण और खनिज के घनत्व के माप के समर्थन में बोरहोल और नमूनों का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना था, जो उपलब्ध नहीं पाये गये। पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में, खनन योजना में शामिल प्रमाणित भण्डार एवं खनिज के घनत्व के आकलन की सत्यता संदिग्ध थी।
- iii) ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का उपयोग विकास योजनाएं और अनुभाग तैयार करने हेतु किया जाता है, जिसमें पट्टा क्षेत्र की त्रि-आयामी चित्रों तथा अनुभागीय क्षेत्रफल/आयतन मापने के लिए उपयुक्त उपकरण सम्मिलित होते हैं। हालांकि, यह देखा गया कि इस सॉफ्टवेयर की निर्णायक भूमिका होने के बावजूद, विभाग ने इन खनन कार्यालयों को ऑटोकैड अथवा उसके अनुकूल सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं किया था जिससे इन खनन योजनाओं एवं उनमें समाविष्ट अनुभागों का व्यापक जाँच संभव हो सके। पट्टेधारियों द्वारा खनन योजना में मानचित्रों के केवल द्वि-आयामी चित्र प्रस्तुत (मार्च 2022 तक) किए जा रहे थे, जिससे योजना की व्यापक जाँच और खनन कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं हो सकती थी।

⁴⁰ झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34C(1) के अनुसार, प्रत्येक खनन योजना आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाएगा।

iv) झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34E(1) में प्रावधान है कि खनन योजना तैयारी और अनुमोदन के संबंध में आईबीएम के निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। आईबीएम ने निर्देश किया (अप्रैल 2010) कि प्रत्येक खनन पट्टे के सीमा स्तंभों को सटीक रूप से स्थापित किया जाए। प्रत्येक सीमा स्तंभ का सर्वेक्षण राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या, डीजीपीएस (इसकी वास्तविक स्थिति के लिए) का उपयोग कर किया जाना था। आगे, झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में प्रावधान है कि सीमा स्तंभों पर भू-निर्देशांक दर्ज किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि खनन योजना में सीमा स्तंभों पर उपलब्ध भू-निर्देशांक 47 मामलों में समुचित रूप से दर्ज नहीं किए गए थे, जैसा कि कंडिका-4.1.3.2 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

4.1.2 खनन योजना का अनियमित अनुमोदन

झा.स.ख.ल. नियमावली, 2004 के नियम 34D के अनुपालन में, राज्य सरकार ने अधिसूचना (27 सितंबर 2014) के माध्यम से निर्देश दिया कि संबंधित जिले के स.ख.प./जि.ख.प. को खनन योजना प्रस्तुत किया जाए, जो इसे सात दिनों के अन्दर अनुमोदित करेंगे। किसी भी तरह की संभावित विलंब या अस्वीकृत खनन योजना के संचय कि स्थिति में, इन खनन योजनाओं को उप-निदेशक, खान को प्रस्तुत किया जाना था, जो स्वयं या जिले में तैनात भूतत्व निदेशालय के किसी नामित अधिकारी द्वारा उनका अनुमोदन सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएँ पाईं।

नमूना-जाँच के लिए चयनित 74 पत्थर पट्टों के लिए 138 खनन योजनाओं⁴¹ में से 120 योजनाएँ⁴² लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए। विभागीय निर्देशों (अगस्त 2014) का उल्लंघन करते हुए, 120 योजनाओं में से 65 योजनाओं (54 प्रतिशत) को विभाग/अन्य जिलों में पदस्थापित गैर-नामित प्राधिकारियों, जो राज्य सरकार के 2014 के निर्देशों में निर्दिष्ट नामित प्राधिकारियों से भिन्न थे, द्वारा अनुमोदित किया गया। पुनः, झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34E के अनुसार खनन योजना संपूर्ण जाँच के बाद अनुमोदित किया जाना था, लेकिन नौ मामलों में इन्हें या तो उसी दिन⁴³ या प्रस्तुत करने के अगले ही दिन अनुमोदित कर दिया गया, जो संपूर्ण जाँच के अभाव को दर्शाता है।

योजनाओं के अनुमोदन हेतु आवश्यक शर्तों की पूर्ति से बचने के लिए, अनुमोदन प्राधिकारियों ने कुछ मानदंडों (जैसे छह महीने के भीतर डीजीपीएस प्रस्तुत करना,

⁴¹ पहले पाँच वर्ष के लिए 74 योजनाएँ तथा दूसरे पाँच वर्ष के लिए 64 योजनाएँ (क्योंकि इन मामलों में पहले पाँच वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी थी)।

⁴² पहले पाँच वर्ष के लिए 65 योजनाएँ तथा दूसरे पाँच वर्ष के लिए 55 योजनाएँ।

⁴³ खनन योजना के अनुमोदन हेतु शुल्क जमा करने की तिथि से गणना की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुपालन के समय भूजल अध्ययन का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करना आदि) के आधार पर खनन योजना को सर्तांत अनुमोदन प्रदान किए। यह प्रचलन झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34E का उल्लंघन था, जिसमें यह प्रावधान है कि अनुमोदन केवल संपूर्ण जाँच के उपरांत ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, विभाग ने संबंधित जिलों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा खनन योजनाओं का अनुमोदन कराने में अपने ही निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया एवं वैधानिक प्रावधानों का भी पालन नहीं किया।

4.1.3 खनन योजना में अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजनाओं में अनियमितताओं के मामले भी देखे, जिनमें खनन योजनाओं में दी गई जानकारी खदानों की भौतिक स्थिति से मेल नहीं खाती थी। जाँच के दौरान पाए गए मामलों पर उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.1.3.1 खनन योजना में अविश्वसनीय जानकारी

पट्टा क्षेत्र की सतह योजना खनन योजना अवधि की प्रारंभ में सतही स्थिति, सुरक्षा अवरोध और सीमा स्तंभों की रूपरेखा दर्शाती है। द्वितीय पाँच-वर्षीय योजना अवधि के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और सर्वेक्षण के दौरान पट्टा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति ही सतह योजना हो जाती है। यद्यपि छह जिलों में पत्थर खनन के लिए द्वितीय खनन योजना की सतह योजना में सीमा स्तंभ, 7.5 मीटर का सुरक्षा अवरोध और बैंच (प्रथम खनन योजना के दौरान निर्मित) दर्शाया गया था परंतु खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि जाँच के लिए चयनित 63 पट्टों में से 55 में इन सबों का अभाव था, जैसा कि कंडिका-4.1.4.1 में वर्णित है, जो खनन योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं होने को दर्शाता है, जैसा कि केस स्टडी-4.1 में दर्शाया गया है।

केस स्टडी-4.1


न्यू श्री स्टार मार्फिन्स (पट्टाधारी कोड-0623160603), पाकुड़

जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ ने 2.34 हेक्टेयर क्षेत्र⁴⁴ पर एक पट्टाधारी को 10 वर्ष का पत्थर खनन पट्टा अक्टूबर 2019 में स्वीकृत किया। यह पट्टा, दिसंबर 2015 में अनुमोदित प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना और नवंबर 2020 में अनुमोदित द्वितीय पाँच-वर्षीय योजना पर आधारित था। पट्टा अनुबंध के अनुसार, पट्टे की अवधि 20 मार्च 2020 से 19 मार्च 2030 तक थी।


⁴⁴ प्लॉट सं. 329 (आं.), 338 (आं.), 340, 341, 342, 343 (आ.), 344 (आं.) और 347 (आं.) मोजा कानुपुर, थाना पाकुड़, जिला पाकुड़।

लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नवत है:

- अशुद्ध सतह योजना:** द्वितीय पाँच-वर्षीय योजना की सतह योजना में 0.29 हेक्टेयर उत्खनित भूमि और 2.05 हेक्टेयर अखंडित भूमि (चित्र-4.1) के रूप में दर्शाया गया था। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि यह कोई नया पट्टा नहीं था, क्योंकि पूर्व में 2.34 हेक्टेयर में से 1.975 हेक्टेयर, 20 वर्षों की पट्टा अवधि (2 अप्रैल 1990 से 1 अप्रैल 2010) के लिए एक पूर्व पूर्व-पट्टेधारी को आवंटित किया गया था। पूर्व-पट्टेधारी दबारा 20 वर्षों के उसकी पट्टा अवधि के दौरान किए गए खनन गतिविधियों की सूचनाओं और इस पट्टे के स्वीकृति से पूर्व के उपग्रह चित्रों (09 मार्च 2019) से पता चला कि पट्टा क्षेत्र का 42.73 प्रतिशत पूर्व में ही उत्खनित हो चुका था (चित्र-4.3) जो आरक्यूपी/अनुमोदन-प्राधिकारी दबारा गहन जाँच की कमी को दर्शाता है।
- खनन योजना का अनुपालन नहीं किया जाना:** द्वितीय पाँच-वर्षीय योजना की वार्षिक विकास योजना (पाँचवें वर्ष) में निर्दिष्ट किया गया था कि अगले पाँच वर्षों में उत्खनित होने वाला कुल क्षेत्र 1.17 हेक्टेयर (मार्च 2025 तक) (चित्र-4.2) और मार्च 2025 तक, खनन गड्ढे की अधिकतम गहराई 15 मीटर होगी जिसमें तीन बैंच (प्रत्येक पाँच मीटर) की होनी थी।




चित्र-4.1: द्वितीय पाँच-वर्षीय खनन योजना के सतह योजना में अ-उत्खनित भूमि (पट्टा क्षेत्र का 87.61 प्रतिशत) प्रदर्शित



चित्र-4.2: द्वितीय पाँच-वर्षीय खनन योजना की विकास योजना (पाँचवें वर्ष) में प्रस्तावित उत्खनित क्षेत्र (1.17 हेक्टेयर) प्रदर्शित

अक्टूबर 2023 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान दल ने पाया कि पूरे पट्टा क्षेत्र (2.34 हेक्टेयर) में उत्खनन किया गया था और गड्ढे की गहराई 25.45 मीटर से 30.45 मीटर तक थी, जिसमें खड़ी ढलान (85° से 90° के बीच) थी और बैंच का निर्माण नहीं किया गया था (चित्र-4.4), जो खनन योजना की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाना तथा संबंधित जि.ख.प. दबारा अनुश्रवण के कमी को दर्शाता है।




चित्र-4.3: गूगल चित्र दिनांक 9 मार्च 2019, दर्शाता है कि पट्टा क्षेत्र के 42.73 प्रतिशत भाग में पट्टा स्वीकृति से पहले ही उत्खनन किया गया था (केएमएल फाइल)



चित्र-4.4: बिना किसी बंच के सीमा दीवार पर खड़ी ढलान, सुरक्षा अवरोध (प्रस्तावित 7.5 मीटर के स्थान पर 0-0.5 मीटर चौड़ाई), सुरक्षा अवरोध पर वृक्षारोपण नहीं पाया गया।

इशराक जिया (लीज कोड- 0204599601), धनबाद

जि.ख.प., धनबाद ने 3.25 हेक्टेयर⁴⁵ क्षेत्र का पत्थर खनन पट्टा (10 वर्षों के लिए) प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना, जिसे उप-निदेशक, राँची के द्वारा अनुमोदित (बिना तिथि के) किया गया था, के आधार पर स्वीकृत⁴⁶ किया गया (मार्च 2016)। पट्टे की स्वीकृति के उपरांत जुलाई 2016 में उप-निदेशक, राँची के द्वारा एक संशोधित खनन योजना को फिर से अनुमोदित किया गया। संशोधित अनुमोदित खनन योजना के सतह योजना के जाँच से पता चला कि तथ्यों को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। योजना में पट्टा क्षेत्र के सतह को अ-उत्खनित दर्शाया (चित्र-4.5) गया था जिसका अर्थ था कि खनन गतिविधियाँ पूर्व में नहीं की गई थी, लेकिन पट्टा क्षेत्र के 21 मार्च 2014 (पट्टा स्वीकृति से पूर्व) के उपग्रह चित्र (चित्र-4.6) में पट्टा क्षेत्र के अन्दर उत्खनित गड्ढा दिखाई दिए। इस उत्खनित खनन गड्ढे की मौजूदगी का कारण, पूर्व में यह क्षेत्र एक पूर्व-पट्टेधारी को आवंटित किया जाना था।



केस स्टडी में शामिल किए गए दोनों मामलों में, सतही योजनाओं में अखंडित भूमि का चित्रण गलत था, जो यह दर्शाता है कि खनन योजना पट्टा क्षेत्र के समुचित सर्वेक्षण के बिना तैयार और अनुमोदित किया गया था। इसका गंभीर प्रभाव अनुवर्ती पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन कार्य एवं अधिक्य उत्थनन की निगरानी पर पड़ा। त्रुटिपूर्ण योजनाओं के कारण वैज्ञानिक खनन पद्धितयों से विचलन हुआ, जिसमें बैंचों, सुरक्षा अवरोध, सौम्य ढलान और वृक्षारोपण का अभाव शामिल था। नियम 34(A)(2) के अनुसार, संबंधित जिले के उपायुक्त और जि.ख.प. पर खनन योजना का कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का दायित्व निहित है, लेकिन वे इसकी शुद्धता और कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सके।

4.1.3.2 पट्टा क्षेत्र के भू-निर्देशांक दर्ज करने में कमी

प्रत्येक मोड़/कोनों के भू-निर्देशांकों को दर्ज करना पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का उचित आकार और माप सुनिश्चित करता है। लेखापरीक्षा ने 63 संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापित⁴⁷ खनन पट्टों में से 61 के भू-निर्देशांकों का उपयोग कर गूगल-अर्थ पर तैयार किये गये मानचित्रों से खसरा और सतही योजना मानचित्रों में उपलब्ध खनन पट्टों के आकार, क्षेत्र और स्थान की तुलना की। इन मानचित्रों की तुलना में 61 पट्टों में से 47 में पट्टा क्षेत्र के आकार, क्षेत्रफल तथा स्थान में भिन्नताएँ पाई गयी। पट्टा क्षेत्र, आकार और स्थान में विभिन्न मानचित्रों पर पायी गयी विसंगतियाँ खनन योजनाओं की तैयारी में उद्यम की कमी तथा खनन पट्टों/योजनाओं की जाँच और अनुमोदन की प्रक्रिया में त्रुटियों की ओर सकेत करती है। एक खनन पट्टा क्षेत्र (मेसर्स सुरुचि स्टोन वर्क्स, चतरा) का खसरा मानचित्र, सतह योजना और उपग्रह चित्र जो आकार, क्षेत्रफल एवं स्थान में भिन्नताएँ चित्र-4.7 में प्रदर्शित हैं।

चित्र-4.7: आकार, आकृति और खनन के स्थान में भिन्नता प्रदर्शित

खसरा मानचित्र (0.684 हेक्टेयर)	स.ख.प., चतरा द्वारा 25 जून 2015 को अनुमोदित प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना का सतही योजना (पट्टा क्षेत्र 1.09 हेक्टेयर)	खनन योजना में उपलब्ध भू-निर्देशांक का उपयोग कर तैयार मानचित्र, पट्टा क्षेत्र- 0.48 हेक्टेयर (केएमएल फाइल)
मेसर्स सुरुचि स्टोन वर्क्स, मिश्रौल, पट्टाधारी कोड- 308337301, पट्टा क्षेत्र- 0.684 हेक्टेयर, 14 नवंबर 2015 को उपायुक्त, चतरा द्वारा स्वीकृत किया गया।		

⁴⁷ दो खनन योजना उपलब्ध नहीं कराए गए।

खनन पट्टा मानचित्रों में भिन्नताएँ कई कारकों के कारण थीं, जैसे (i) प्रत्येक मोड़ के भू-निर्देशांकों का न दर्ज होना, (ii) प्रत्येक सीमा स्तंभ के भू-निर्देशांकों का न दर्ज होना, और (iii) भू-निर्देशांकों का गलत दर्ज होना। लेखापरीक्षा ने पाया कि चतरा और पलामू जिलों में तीन पट्टों के मामलों में दर्ज भू-निर्देशांकों के आधार पर गूगल-अर्थ पर तैयार किए गए मानचित्रों में वास्तविक खदान स्थलों से आकाशीय दूरी की त्रुटियाँ 2.90 किमी तक थीं, इससे पट्टा क्षेत्र के संभावित उल्लंघन की स्थिति परिलक्षित होती है (जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है)।

4.1.3.3 अतिच्छादित पट्टा क्षेत्र एवं इन पट्टों के आस-पास खनन संबंधित अविनियमित गतिविधियाँ

नमूना-जाँचित छह जिलों में से तीन⁴⁸ में, चार ऐसे मामले पाए गए जहाँ दो अलग-अलग पट्टों के पट्टा क्षेत्र एक-दूसरे से अतिच्छादित थे। अतिच्छादित क्षेत्र का विस्तार 0.30 से 1.14 हेक्टेयर तक था। उल्लेखनीय है कि इन दोनों पट्टों के लिए खनन योजना या तो एक ही आरक्यूपी/प्राधिकारी द्वारा तैयार/अनुमोदित किए गए थे (पलामू में पट्टों का एक सेट और चाईबासा में एक सेट) या एक ही प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लेकिन अलग-अलग आरक्यूपी द्वारा तैयार किए गए थे (चाईबासा में पट्टों का एक सेट और साहिबगंज में एक सेट), जैसा कि केस स्टडी-4.2 और 4.3 में प्रदर्शित है।

केस स्टडी-4.2


जि.ख.प., पलामू ने दो पत्थर खनन पट्टे प्रदान किए: (i) मेसर्स मॉ स्टोन वर्क्स, दमदमी (जून 2015) 4.047 हेक्टेयर क्षेत्र पर 10 वर्षों के लिए, उप निदेशक, भूतत्व द्वारा अनुमोदित प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना के आधार पर; (ii) मेसर्स दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट (दिसंबर 2016) 4.65 हेक्टेयर क्षेत्र में, उसी प्लॉट के भाग पर। दोनों पट्टों के लिए खनन योजना एक ही आरक्यूपी और प्राधिकारी द्वारा क्रमशः तैयार और अनुमोदित किए गये थे। लेखापरीक्षा ने दिसंबर 2022 में डीएमओ के साथ इन दोनों पट्टों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और पाया कि:

- पट्टा क्षेत्रों का अतिच्छादन:** मेसर्स दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट में केवल एक स्तंभ को छोड़कर, दोनों संलग्न पट्टों के सीमा स्तंभ अनुपस्थित पाए गए। सीमा स्तंभों के अभाव में, लेखापरीक्षा ने इन पट्टों के खनन

⁴⁸ चाईबासा (1) ट्रस्टलाइन डीलर प्रा. लि., पट्टाधारी कोड- 0101335502 और सीटीएस इंडस्ट्रीज लि., पट्टाधारी कोड- 0101334704 अतिच्छादित क्षेत्र- 0.43 हेक्टेयर, (2) सीटीएस इंडस्ट्रीज लि., पट्टाधारी कोड- 0101334703 और ट्रस्टलाइन डीलर प्रा. लि., पट्टाधारी कोड- 0101335501 अतिच्छादित क्षेत्र- 0.30 हेक्टेयर), पलामू (1) मॉ स्टोन वर्क्स, पट्टाधारी कोड- 411172501 और दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट, पट्टाधारी कोड- 411722401 अतिच्छादित क्षेत्र- 1.14 हेक्टेयर) और साहिबगंज (1) मेसर्स क्वालिटी स्टोन प्रोडक्ट्स, पट्टाधारी कोड- 620396401 और मेसर्स श्री गुरु, पट्टाधारी कोड- 620420902 प्लॉट सं. 541 अतिच्छादित)।

योजना में दिए गए भू-निर्देशांकों से गूगल-अर्थ सॉफ्टवेयर पर उनके पट्टा क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए केएमएल फाइल तैयार किया और पाया कि मेसर्स मॉस्टोन वर्क्स और मेसर्स दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट के पट्टा क्षेत्रों के बीच 1.14 हेक्टेयर क्षेत्र अतिच्छादित थे। इस अतिच्छादन के कारण विवादों और अनावश्यक मुकदमों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

- **क्रशिंग इकाइयों का अनियमित संचालन:** खनन योजना और सीटीओ के अनुसार, मेसर्स मॉस्टोन वर्क्स को केवल स्टोन बोल्डर बेचने की अनुमति थी और स्टोन चिप्स बेचने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गूगल-अर्थ प्रो पर उपलब्ध ऐतिहासिक चित्रों की जाँच में जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में पट्टा क्षेत्र में क्रशरों के अनियमित संचालन परिलक्षित हुआ।
- **गैर-खनन क्षेत्र में उत्खनन:** मेसर्स मॉस्टोन वर्क्स की पट्टा सीमा के बाहर 2.19 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनन पाया गया जो वन भूमि के 250 मीटर के अंदर स्थित थी, जिससे पता चला कि न केवल यह अवैध रूप से खनन किया गया था, बल्कि वन क्षेत्रों के समीप खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधानों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।




चित्र-4.8: पट्टा क्षेत्र दर्शाता हुआ - मॉस्टोन वर्क्स (पट्टा सीमा लाल रेखा) मेसर्स दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट (नीली रेखा में पट्टा सीमा) के साथ अतिच्छादित (1.14 हेक्टेयर); वन स्तंभ से खुदाई की गई भूमि (2.19 हेक्टेयर, मेसर्स मॉस्टोन वर्क्स की पूर्वी सीमा के बाहर) की दूरी 250 मीटर से कम थी, चित्र दिनांक 21 दिसंबर 2022।



चित्र-4.9: दिनांक 10 जनवरी 2018 का गूगल चित्र (ग्रीन लाइन में चिन्हित पट्टा क्षेत्र के अंदर क्रशर)

केस स्टडी-4.3

सितंबर 2008 में संपूर्ण प्लॉट संख्या 541 (12 प्लॉटों के साथ) का पट्टा मेसर्स क्वालिटी स्टोन प्रोडक्ट्स को हस्तांतरित किया गया था, जिसे तत्पश्चात अन्य 10 वर्षों (14 अक्टूबर 2022 तक) के लिए नवीकृत किया गया था। मौजूदा पट्टे की अवधि समाप्त नहीं होने के बावजूद, जि.ख.प., साहिबगंज ने दिसंबर 2018 में उसी प्लॉट के एक हिस्से (07 प्लॉटों सहित) पर मेसर्स श्री गुरु स्टोन वर्क्स को 10 वर्ष (पट्टा अवधि 25 जनवरी 2019 से 24 जनवरी 2029) के लिए को अनियमित रूप से पट्टा प्रदान किया। इस प्रकार, 25 जनवरी 2019 से 14 अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान, प्लॉट संख्या 541 के हिस्से पर पट्टे का हिस्सा मेसर्स क्वालिटी स्टोन प्रोडक्ट्स और मेसर्स श्री गुरु स्टोन वर्क्स के बीच अतिच्छादित हो गया। यह भविष्य में विवादों और विधिक जटिलताओं को उत्पन्न कर सकता है। सितंबर 2023 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि पूरे प्लॉट में खुदाई की गई थी, और दो पट्टों के बीच सीमांकन नहीं किया गया था।



चित्र-4.10: प्लॉट-वार मानचित्र (खसरा मानचित्र) साहिबगंज में दर्शाये गये दो सटे हुए पट्टा क्षेत्र (प्लॉट संख्या 541 दो पट्टाधारकों को आवंटित)



चित्र-4.11: मेसर्स क्वालिटी स्टोन प्रोडक्ट्स के पट्टे में उत्खनन प्रदर्शित।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि खनन योजनाओं के जाँच और अनुमोदन हेतु उत्तरदायी प्राधिकारियों की तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप, अतिच्छादित क्षेत्रों वाली खनन योजनाओं का अनियमित अनुमोदन प्रदान की गई, जिसके कारण विवाद, पट्टा क्षेत्रों के बाहर अवैध और असंवहनीय खनन इत्यादि की संभावना उत्पन्न हो सकती है।


4.1.3.4 खनन योजना में अनुमानित जल स्तर

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 (22 फरवरी, 2017 को संशोधित) के नियम 6(घ) के अनुसार, खनन की अधिकतम गहराई उस क्षेत्र के स्थायी जल स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, नियमावली में स्थायी जल स्तर परिभाषित नहीं है।

मानक पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार, भूजल स्तर से नीचे कार्य करने के लिए भूजल निदेशालय, झा.स. या केंद्रीय भूजल बोर्ड (के.भु.बो.), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

नमूना जाँचित 61 पट्टों के खनन योजना की जाँच से पता चला कि इन 61 पट्टों के खनन योजनाओं में स्थायी जल स्तर निर्धारित करने के लिए के.भु.बो. से परामर्श किए बिना ही अनुमानित आधार (जैसे कि निकटतम कुओं, ट्यूबवेल, जल स्रोतों इत्यादि से स्तर का आकलन कर) पर जल स्तर प्रस्तावित किया गया था। इसके अलावा, 13 मामलों में जिन पट्टेधारकों ने भूजल स्तर से नीचे खनन गतिविधियाँ संचालित की थीं, वे खनन गतिविधियाँ जारी रखने से पहले के.भु.बो. से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में विफल रहे।

स्थायी जल स्तर की सटीक परिभाषा के अभाव में, लेखापरीक्षा ने के.भु.बो. और पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल, झा.स. के पास उपलब्ध डेटा प्राप्त किया। के.भु.बो. दो प्रकार के जलभूतों का डेटा संधारित करता है: (i) सीमित जलभूत⁴⁹ और (ii) असीमित जलभूत⁵⁰। संकल्पनात्मक योजनाओं⁵¹ में खनन गड्ढों की अनुशंसित गहराई/संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई गहराई और 2017 से 2024 तक के.भु.बो./पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल द्वारा प्रतिवेदित अधिकतम गहरे जल स्तर⁵² के बीच तुलना की गई।



चित्र-4.12: पत्थर खनन पट्टों का आरएल और निकटतम कुओं का जल स्तर (सीमित और असीमित)

⁴⁹ एक सीमित जलभूत ऊपर और नीचे मितजलभूत (अभेद्य भूवैज्ञानिक इकाई) से घिरा होता है।

⁵⁰ एक असीमित जलभूत, जिसे जल स्तर जलभूत के रूप में भी जाना जाता है, नीचे मितजलभूत (अभेद्य भूवैज्ञानिक इकाई) से घिरा होता है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी सीमित परत द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता है। इसकी ऊपरी सीमा जल स्तर होता है।

⁵¹ खदान के जीवनकाल के अंत में योजना और खंड दिखाता है। यह खनन योजना का हिस्सा होता है।

⁵² नमूना जाँचित खनन पट्टों से निकटतम कुओं।

अवलोकनों पर तालिका-4.1 में चर्चा की गई है।

तालिका-4.1: मौजूदा जल स्तर और खनन योजना में अनुशंसित/संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाई गई खनन गहराई की तुलना प्रदर्शित

जिले का नाम	खनन पट्टे की संख्या/ब्लॉकों की संख्या	गड्ढे की अधिकतम गहराई (मीटर में)		2017-24 के दौरान के.भू.बो. द्वारा प्रतिवेदित अधिकतम जल स्तर (सतह से नीचे मीटर में)		2017-24 के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल		जल स्तर की तुलना में अधिक गहराई (मीटर में)	
		खनन योजना (संकल्पनात्मक योजना)	संयुक्त भौतिक सत्यापन	असीमित जलभृत	सीमित जलभृत	द्वारा प्रतिवेदित अधिकतम जल स्तर (एमबीजीएल)	खनन योजना	संयुक्त भौतिक सत्यापन	
चतरा	3/2	30 से 52	39.90 से 70.10	3.3 से 11.2	6.9 से 7.45	18.15 से 18.48	11.52 से 33.85	21.42 से 51.95	
धनबाद	3/2	27 से 34	30 से 48	3.5 से 9	9.26	16.20 से 16.80	10.20 से 17.80	13.20 से 31.80	
पलामू	5/1	24 से 60	41 से 94	6.6 से 12.4	14.85	21.25	2.75 से 38.75	19.75 से 72.75	
पाकुड़	2/1	25 से 42	33 से 40.23	8.27 से 10.95	4.07 से 6.12	21.50	3.50 से 20.50	11.5 से 18.73	

स्रोत: के.भू.बो., पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल, खनन योजना, संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त सूचना

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 61 नमूना जाँचित पट्टों में से 13 मामलों में, संबंधित खनन योजना में अनुशंसित और संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई गहराई संबंधित ब्लॉक के जल स्तर⁵³ से अधिक थी, जिसकी चर्चा केस स्टडी-4.4 में की गई है।

केस स्टडी-4.4

जि.ख.प., पलामू ने दिसंबर 2011 में एक व्यक्ति को पलामू जिले के छत्तरपुर प्रखंड में दो समीपवर्ती पत्थर खनन पट्टे⁵⁴ प्रदान किए। उस व्यक्ति ने एक ही आरक्यूपी द्वारा तैयार और एक ही प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना

⁵³ संकल्पनात्मक योजना में अनुशंसित/संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखी गई अधिकतम गड्ढे की गहराई की तुलना के.भू.बो./पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल द्वारा प्रतिवेदित की गई सबसे गहरे जल स्तर से की गई है।

⁵⁴ मेसर्स खरवाडीह (पट्टा क्षेत्र- 4.650 हेक्टेयर, पट्टा अवधि- 07.01.2012 से 06.01.2022, मौजा: खरवाडीह, प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना 14.05.2015 को स्वीकृत और द्वितीय योजना 05.08.2020 को स्वीकृत), मेसर्स बगैया (पट्टा क्षेत्र- 4.046 हेक्टेयर, पट्टा अवधि- 08.01.2012 से 07.01.2022, मौजा: बगैया, प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना 14.05.2015 को स्वीकृत, द्वितीय खनन योजना 03 अक्टूबर 2020 को स्वीकृत)।

के आधार पर 30 दिसंबर 2015 को दोनों पट्टों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली।

प्रथम एवं द्वितीय खनन योजना के अनुसार, संकल्पनात्मक योजनाओं में खनन गड्ढे की गहराई तथा दोनों पट्टों के लिए मानसून-पूर्व जल स्तर निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया था:

खनन पट्टे	योजना	खनन गड्ढे की गहराई (संकल्पनात्मक योजना) मीटर में	मानसून पूर्व जल स्तर (मीटर में)
खरवाडीह	प्रथम	66 (आरएल 242-176)	75 (आरएल 167)
	द्वितीय	42 (आरएल 242-200)	55-59 (आरएल 183-187)
बगैया	प्रथम	72 (आरएल 246-174)	75 (आरएल 171)
	द्वितीय	60 (आरएल 246-186)	76 (आरएल 170)

तालिका से स्पष्ट है कि खरवाडीह के लिए खनन गतिविधियों में 24 मीटर (66 से 42 मीटर) और बगैया के लिए 12 मीटर (72 से 60 मीटर) तक घटा दिया गया। खरवाडीह में यह कमी भूजल के साथ प्रतिच्छेदन से बचने के लिए की गई थी। हालांकि, इसके समीपर्वती बगैया पट्टे में, 60 मीटर तक खनन की अनुमति दी गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक निकटवर्ती पट्टा था। उल्लेखनीय है कि, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल ने 2017-2023 के दौरान छत्तरपुर ब्लॉक में अधिकतम जल स्तर भूतल (एमबीजीएल) से 21.25 मीटर नीचे प्रतिवेदित किया था।

इस प्रकार खनन योजनाओं में जल स्तर के अनुमानित आकलन के आधार पर, के.भू.बो. से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना, समीपर्वती पट्टों में विभिन्न गहराई पर खनन की अनुमति दी गई।



चित्र-4.13: बगैया पत्थर खदान, आंशिक रूप से जल से भरी हुई, जल की गहराई-30 मीटर (संयुक्त भौतिक सत्यापन- नवंबर 2022)



चित्र-4.14: खरवाडीह खदान, जल से पूर्णतः भरी हुई (संयुक्त भौतिक सत्यापन- नवंबर 2022)


लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 55 प्रतिशत (597 में से 327) निवासियों ने बताया कि खनन गतिविधियों के प्रमुख नकारात्मक प्रभावों में से एक जल स्तर में गिरावट है। इस प्रकार, जल स्तर के अनुमानित स्तरों के आधार पर खनन योजना की

स्वीकृति से पूर्व प्रासंगिक डेटा की तिर्यक जाँच करने में खान एवं भूतत्व विभाग की विफलता के कारण न केवल खनन प्रभावित क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट आई, बल्कि यह सतत और वैज्ञानिक खनन के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के उद्देश्य के भी प्रतिकूल था।

4.1.3.5 खनन योजना में खनन योग्य भंडार का अनियमित लेखांकन

पत्थर के पट्टों के खनन योजनाओं में खनन योग्य भंडार और गैर-खनन योग्य संसाधनों की रूपरेखा दी गयी है। पट्टा क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है- (i) **खनन पिट क्षेत्र**: जिसमें उत्खनन के लिए खनन योग्य रिजर्व और बैंच⁵⁵ के रूप में गैर-खनन योग्य संसाधन शामिल हैं (ii) **सुरक्षा अवरोध**: पिट क्षेत्र के आसपास का 7.5 मीटर का क्षेत्र, जिसमें विशेष रूप से गैर-खनन योग्य संसाधन शामिल हैं जो खनन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि चित्र-4.15 में दर्शाया गया है।

चित्र-4.15: एक खदान का चित्रात्मक वर्णन जिसमें सुरक्षा अवरोध और बैंचों के साथ खनन पिट दिखाया गया है



भौतिक रूप से सत्यापित 63 में से 61 पट्टों के खनन योजना की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि खनन पिट क्षेत्र के अंदर, बैंचों के अस्तित्व पर विचार करते हुए, खनन गतिविधियों को 45° के कोण पर करने का प्रस्ताव था। यह भी देखा गया कि गैर-खनन योग्य संसाधनों के लिए समान परिस्थितियों के बावजूद, 25 मामलों में, खनन योग्य और गैर-खनन योग्य संसाधनों का अनुपात 88:12 से 51:49 तक था। आगे सुरक्षा अवरोध के क्षेत्र (जैसा कि भूमि उपयोग पैटर्न में उल्लिखित है) के आधार पर, लेखापरीक्षा ने गणना की⁵⁶ कि 25 मामलों में से 14 में गैर-खनन योग्य संसाधन (83.87 लाख टन) को सुरक्षा अवरोधों में अवरुद्ध होना चाहिए था। हालांकि देखा गया कि इन खदानों के खनन योजना में कुल अनुमोदित गैर-खनन

⁵⁵ समान ऊंचाई और चौड़ाई के आयाम (6 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर x 5 मीटर इत्यादि)।

⁵⁶ सुरक्षा अवरोध के क्षेत्र (भूमि उपयोग पैटर्न में उल्लिखित) को संसाधनों की गहराई (भूवैज्ञानिक योजना में उल्लिखित) से गुणा करके गणना की गयी है।

योग्य संसाधन 53.21 लाख टन दर्शाये गये थे, जो खनन योजना में गैर-खनन संसाधनों के 30.66 लाख टन के कम आकलन को दर्शाता है।

गैर-खनन योग्य संसाधन के कम दर्शाये जाने के कारण ₹ 34.96 करोड़⁵⁷ मूल्य के, खनन योग्य भंडार का अधिक लेखांकन हुआ जिससे ये प्रभाव हो सकते हैं: (i) पर्यावरणीय स्वीकृति में अनुचित खनन योग्य मात्रा की अनुमति (ii) गैर-सतत खनन प्रचलन को बढ़ावा (iii) सुरक्षा अवरोधों और बैचों की अनुपस्थिति से सुरक्षा उपायों पर नकारात्मक प्रभाव और (iv) वृक्षारोपण के लिए स्थान की कमी के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव।

उल्लिखित 14 मामलों में से एक मामले में खनन गड्ढा क्षेत्र के अंदर गैर-खनन योग्य संसाधनों के विरुद्ध खनन योग्य भंडार के इस अनियमित लेखांकन का केस स्टडी-4.5 में विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

केस स्टडी-4.5

लुत्फुल हक (पट्टाधारी कोड- 623955701), पाकुड़

खनन योजना के अनुसार, खदान का कुल खनन योग्य भंडार 30,07,368 टन था, जिसमें से 24,74,928 टन (9,16,640 घन मीटर के बराबर) 10 वर्ष की पट्टा अवधि के दौरान उत्खनन के लिए उपलब्ध था। शेष मात्रा दो वर्ष की अगली अवधि के लिए सुरक्षित रखी गयी थी। इसके अलावा, कुल 5.46 हेक्टेयर में से 4.02 हेक्टेयर क्षेत्र को खुदाई के लिए निर्दिष्ट किया गया था, जिसकी गहराई दो से 20 मीटर के बीच प्रस्तावित थी, ताकि पाश्वर दीवारों की 45° सौम्य ढलान बनाए रखी जा सके।

खनन योजना में 10 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए 9,16,640 घन मीटर (खनन योजना में उल्लिखित मात्रा के अनुसार) खनन योग्य भंडार दर्शाया गया। अगर 20 मीटर की एक समान गहराई के साथ 90° ढलान पर भी खुदाई की गई हो, खनन योग्य भंडार का अतिआकलन निम्नवत दर्शायी गयी है:

- उत्खनन क्षेत्र: 4.02 हेक्टेयर = 40,200 वर्ग मीटर
- एकसमान गहराई: 20 मीटर
- 45° ढलान बनाए रखने की शर्त का पालन किए बिना अधिकतम संभावित खनन योग्य भंडार: 40,200 वर्ग मीटर x 20 मीटर = 8,04,000 घन मीटर

इसकी तुलना स्वीकृत खनन योग्य भंडार 9,16,640 घन मीटर से करने पर यह स्पष्ट है कि खनन योग्य भंडार में कम से कम 1,12,640 घन मीटर (9,16,640 - 8,04,000) का अतिआकलन थी। इससे पता चलता है कि अपनाई गई आकलन प्रक्रिया अविश्वसनीय थी।

⁵⁷ 11.17 लाख घन मीटर (30.66 लाख टन/थोक घनत्व) x पत्थर की दर ₹ 313 प्रति घ.मी।

4.1.3.6 नमूना और परीक्षण के बिना उपयोग हेतु अनुशंसा

ग्रेनाइट संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियमावली, 1999 पेश लागू गए थे। मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं: (i) नियम 3(h): ग्रेनाइट को आयामी पत्थर के रूप में प्राप्त करने योग्य, पॉलिश किये जाने योग्य और व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य चट्टानों के रूप में परिभाषित करता है (ii) नियम 22: छोटे ब्लॉकों के उपयोग ईंटों, फर्श, टाइलों आदि के निर्माण के लिए और छोटे टुकड़ों को पत्थर के समुच्चय और खदान पुनर्भरण के रूप में उपयोग को बढ़ावा देता है (iii) नियम 43: खदान मालिकों को बोरहोल रिकॉर्ड संधारित रखने और बिना अनुमति उनके विनाश पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।

जाँचे गए 63 पत्थर पट्टों में से 61 पट्टों के खनन योजना से प्रतिवेदित है कि पट्टे वाले क्षेत्रों में ग्रेनाइट का रॉक द्रव्यमान शामिल हैं। हालांकि, सभी मामलों में, खनन योजना ने समुचित नमूना जाँच और कोई परीक्षण किए बिना, जिससे पता लगाया जा सके कि ये आयामी पत्थर के लिए उपयुक्त हैं, पॉलिश किये जाने योग्य हैं और वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य हैं, ग्रेनाइट को चिप्स/बोल्डर के रूप में उपयोग करने की समान रूप से अनुशंसा की। इस प्रकार, राज्य सरकार ने उच्च मूल्य वाले उत्पादों के वाणिज्यिक दोहन की संभावना की उपेक्षा की, जिससे उच्च राजस्व प्राप्ति की जा सकती थी।

4.1.3.7 पर्यावरण प्रबंधन योजना में आधारभूत डेटा का गैर-समावेश

भारतीय खान व्यूरो द्वारा प्रसारित मॉडल लघु एमसीडीआर, 2010 में दिए गए खनन योजना प्रारूप के अनुसार, खनन योजना में पर्यावरण प्रबंधन योजना के अध्याय में पट्टा क्षेत्र का आधारभूत डेटा (वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण स्तर) होना चाहिए, जो भविष्य में खनन कार्यों के कारण पर्यावरणीय गिरावट के मूल्यांकन के लिए संदर्भ बिंदु का कार्य करेगा।

नमूना जाँचित 61 पट्टों के खनन योजना में पर्यावरण प्रबंधन योजना पर अध्याय की जाँच से पता चला कि पट्टा क्षेत्र के आसपास वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के स्तर के माप के लिए ऑन-साइट माध्यम से कोई डेटा दर्ज नहीं किया गया था, केवल संबंधित जिले में विभिन्न स्थानों पर के.भू.बो. द्वारा पूर्व-दर्ज किए गए जल गुणवत्ता डेटा अभिलेखित था। इससे संकेत मिलता है कि वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के लिए कोई ऑन-साइट माप नहीं लिया गया था। अगर इन डेटा बिंदुओं को एकत्र और अभिलेखित किया गया होता, तो इनका उपयोग खनन संचालन के कारण पर्यावरण में गिरावट के मूल्यांकन के लिए आधारभूत डेटा के रूप में किया जा सकता था।

इस प्रकार, प्रासंगिक डेटा के बिना खनन योजनाओं में पर्यावरण प्रबंधन योजना को शामिल करने के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर खनन परिचालन के प्रभाव का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए आधार का अभाव हो गया।

4.1.4 प्रगामी खान समापन योजना का क्रियान्वयन

लघु एमसीडीआर, 2010 के नियम 17 के अनुसार, प्रत्येक खदान के लिए एक खान समापन योजना होगी जो दो प्रकार की है:

- किसी खदान या उसके किसी भाग में सुरक्षात्मक, पुनरुद्धार और पुनर्वास उपाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रगामी खान समापन योजना, और
- खनन और खनिज प्रसंस्करण परिचालन बंद होने के बाद किसी खदान या उसके किसी भाग को बंद करने, पुनरुद्धार और पुनर्वास के उद्देश्य से अंतिम खान समापन योजना।



प्रगामी खान समापन
योजना

प्रगामी खान समापन योजना में अनिवार्य रूप से खनन योजना का व्यवस्थित कार्यान्वयन शामिल होता है। पट्टे के क्षेत्र को सीमा स्तंभों और बाड़ों के माध्यम से उचित रूप से सीमांकित किया जाना चाहिए, खनन गड्ढे क्षेत्र के भीतर खुदाई सीमित होनी चाहिए, वृक्षारोपण के उद्देश्यों के लिए खनन गड्ढे क्षेत्र के चारों ओर सौम्य ढलान और सुरक्षा अवरोधों के साथ बैंच होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित 63 पत्थर पट्टों में से 61 में (दो मामलों में खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया), खनन योजना के साथ प्रगामी खान समापन योजनाएँ प्रस्तुत की गई थीं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने 63 चयनित पत्थर पट्टों⁵⁸ में विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया, और कार्यरत और बंद पत्थर खनन पट्टों दोनों में, खनन योजना में उल्लिखित प्रावधानों से कई विचलन पाए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

4.1.4.1 अनुमेय सीमा से अधिक खनन

भारतीय खान ब्यूरो ने अप्रैल 2010 में एक परिपत्र (सं. 02/2010) जारी किया था, जिसमें पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टे के सीमा स्तंभों के लिए भू-संदर्भित कैडेस्ट्रल नक्शा और डीजीपीएस सर्वेक्षण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। जिस के पास इस डेटा का उपयोग करने और खनन पट्टों के सीमा स्तंभों के भू-निर्देशांकों का उपयोग करके गूगल-अर्थ में मानचित्र बनाने की सुविधाएँ हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 नमूना-जाँचित पत्थर पट्टों में से 61 (दो पट्टों में खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया) मामलों में, खनन योजनाओं में खनन योग्य भंडार, गैर-खनन योग्य संसाधन और 45° के कोण पर प्रस्तावित खनन गतिविधियाँ सम्मिलित थीं, जिसमें बराबर आकार के बैंचों का प्रावधान था।


इसके अतिरिक्त, विभाग ने (जुलाई 1986 में) क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे पट्टों का वार्षिक अनुभागीय मापी (कम से कम 20 प्रतिशत) करें ताकि

⁵⁸ 54 नए पट्टे (जहां पहले कोई खनन गतिविधि नहीं की गई थी) और नौ नवीकृत पट्टे, 63 पट्टों में से 51 कार्यरत और 12 समाप्त पट्टे।

खनियों के प्रेषण के विरुद्ध उत्खनन की गई वास्तविक मात्रा का पता लगाया जा सके। जि.ख.प. को इन मापों में से 10 प्रतिशत का सत्यापन कर उनकी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 पट्टों⁵⁹ में से 55 पट्टों में खदान की पार्श्व दीवारें लगभग 65° से 90° तक की तीव्र ढलान वाली थीं, जो कि खनन योजना में अनुशंसित 45° सौम्य ढलान से विचलन था। खनन योजना में अनुशंसित गहराई को सत्यापित करने के लिए, दल ने जमीन की सतह से गड्ढे के अंतिम स्तर तक पत्थर के भार के साथ रस्सी डाल कर गहराई को मापा। 55 पत्थर पट्टों के लिए खनन गतिविधियों (खनन योजना में निर्धारित) और संयुक्त भौतिक सत्यापन अवलोकनों की तुलना चार्ट-4.3 में दर्शायी गई है।

चार्ट-4.3



चित्रात्मक चार्ट दो प्रमुख तथ्यों को उजागर करता है:

- क. पट्टाधारियों ने आवश्यक बैंच और सुरक्षा अवरोध बनाए बिना पत्थर का उत्खनन किया, पार्श्व दीवार के ढलान को 45° से बढ़ाकर $65-90^\circ$ कर दिया और गैर-खनन योग्य संसाधनों पर क्षैतिज अतिक्रमण किया, जो खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है।
- ख. पट्टाधारियों ने अनुमेय गहराई से भी अधिक खुदाई की, गैर-खनन योग्य संसाधनों पर लंबवत अतिक्रमण किया, तथा गड्ढों की गहराई अनुमेय सीमा से 2.5 से 50 मीटर (अर्थात् 11 से 494 प्रतिशत) अधिक थी।

पट्टा क्षेत्र के अंदर और बाहर खुदाई (क्षैतिज उल्लंघन) की तुलना करने के लिए, पट्टे के प्रत्येक सीमा स्तंभ के भू-निर्देशांक आवश्यक थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि

⁵⁹ 55 मामले: कोई बैंच नहीं, एक मामला: खनन कार्य नहीं किया गया, पाँच मामले: एक बैंच और दो मामले: 2 से 3 बैंच।

आईबीएम के निर्देशों और जिम्स में भू-निर्देशांकों को दर्ज की अंतर्निहित सुविधा होने के बावजूद, सीमा स्तंभों के पर्याप्त और सही भू-निर्देशांक दर्ज नहीं किए गए थे।

इसके अलावा, सीआ से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को गूगल-अर्थ पर पट्टा मानचित्र बनाने के लिए केएमएल फाइलें⁶⁰ प्रस्तुत करनी थीं। हालांकि, पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई ये केएमएल फाइलें परिवेश पोर्टल⁶¹ पर उपलब्ध नहीं थीं। अगर ये फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई जाती, तो वे गूगल-अर्थ पर मानचित्र तैयार में मददगार साबित हो सकती थीं।

नमूना जाँचित मामलों में पट्टेधारियों ने न तो खनन पट्टों के भू-संदर्भित मानचित्र प्रस्तुत किए, न ही उन्होंने भू-संदर्भित कैडेस्ट्रल मानचित्र पर उनका अध्यारोपण सुनिश्चित किया। परिणामस्वरूप, 61 नमूना जाँचित पत्थर पट्टों में जि.ख.प. के पास आवश्यक अध्यारोपित आउटपुट (शेष फाइल की सॉफ्ट कॉपी और उसकी हार्ड कॉपी) उपलब्ध नहीं थी।

जि.ख.प. के पास शेष फाइल, परिवेश पोर्टल में केएमएल फाइल और जिम्स में 63 पत्थर पट्टों से संबंधित प्रत्येक सीमा स्तंभ के भू-निर्देशांक के अभाव में, लेखापरीक्षा ने इन पट्टों के खनन योजनाओं से भू-निर्देशांक प्राप्त किए। अतः लेखापरीक्षा ने खनन योजना में सीमा स्तंभों के उपलब्ध भू-निर्देशांकों से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू (सीएसवी) फाइलें तैयार करके गूगल-अर्थ पर मानचित्र तैयार किया। केएमएल प्रारूप में मानचित्र तैयार करने के लिए इन सीएसवी फाइलों को गूगल-अर्थ में आयात किया गया। हालांकि, 47 पट्टों में खनन योजना में गलत भू-निर्देशांक दर्ज किए गए थे और दो पट्टों के संबंध में खनन योजना उपलब्ध नहीं कराए गए थे। भू-निर्देशांक में सुधार के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोध पर, जि.ख.प. ने केवल आठ पट्टों के संबंध में सटीक भू-निर्देशांक उपलब्ध कराए। लेखापरीक्षा ने पाँच जिलों (धनबाद को छोड़कर) के 22 पट्टों के लिए सफलतापूर्वक मिलान मानचित्र तैयार किए और 14 पट्टों⁶² में क्षेत्रिज उल्लंघन (15.44 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र के बाहर) पाया। ऐसी दो गूगल चित्र, चित्र-4.16 और 4.17 में दर्शायी गई हैं।

⁶⁰ केएमएल फाइल एक प्रारूप है जिसका उपयोग गूगल-अर्थ जैसे अर्थ-ब्राउज़र में भौगोलिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।


⁶¹ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने (अगस्त 2018) परिवेश पोर्टल शुरू किया, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एकल खिड़की पोर्टल है।

⁶² चतरा - (i) श्री अजय कुमार (पट्टाधारी कोड-101333001, पट्टा क्षेत्र के बाहर 0.14 हेक्टेयर), पलामू- (ii) श्री अनूप कुमार सिंह (पट्टाधारी कोड- 411510801, पट्टा क्षेत्र के बाहर 0.55 हेक्टेयर), (iii) मेसर्स महादेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पट्टाधारी कोड- 411510701, पट्टा क्षेत्र के बाहर 1.50 हेक्टेयर),

साहिबगंज- (iv) मेसर्स श्री राम स्टोन प्रोडक्ट (पट्टाधारी कोड- 620053304, पट्टा क्षेत्र के बाहर 1.64 हेक्टेयर), (v) मेसर्स क्वालिटी स्टोन प्रोडक्ट (पट्टाधारी कोड-620396401, पट्टा क्षेत्र के बाहर-0.21 हेक्टेयर) और तालिका- 4.2 में उल्लिखित नौ पट्टे।



केएमएल फाइल

	
<p>मेसर्स महादेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पट्टाधारी कोड- 411510701, पलामू।</p>	<p>श्री राम स्टोन प्रोडक्ट, पट्टाधारी कोड- 620053304, साहिबगंज।</p>
<p>चित्र-4.16: गूगल छवि (13 दिसंबर 2022) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 4.65 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (2.52 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (1.50 हेक्टेयर) प्रदर्शित</p>	<p>चित्र-4.17: गूगल छवि (6 जून 2021) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 2.43 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (0.80 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (1.64 हेक्टेयर) प्रदर्शित</p>

लेखापरीक्षा को निष्कर्षण मात्रा का अनुमान लगाने में बाधाओं⁶³ का सामना करना पड़ा और तदनुसार विशिष्ट मानदंडों⁶⁴ का उपयोग करके 63 पत्थर खनन पट्टों में से 13 का चयन⁶⁵ किया। लेखापरीक्षा ने गूगल-अर्थ में उत्खनन क्षेत्रों को मापकर और संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई गहराई से गुणा करके, ढलानों (70-90° कोण⁶⁶) और ढुलाई सङ्केतों में अवरोधित मात्रा को समायोजित कर निष्कर्षण मात्रा का अनुमान लगाया (परिशिष्ट-4.1, 4.2 और 4.3)।

⁶³ पहाड़ियों और दुर्गम भूभाग की त्रि-आयामी चित्र की अनुपलब्धता, नवीकरण मामलों में पिछले पट्टों के उत्पादन डेटा की अनुपलब्धता, अतिच्छादित पट्टे आदि।

⁶⁴ संयुक्त भौतिक सत्यापित पट्टे (गहराई मापी गई), नए (अखंडित पट्टे अर्थात्, जहां पहली बार उत्खनन शुरू हुई)। नवीकृत पट्टों के मामले में, यदि नवीकरण डेटा शुरू से उपलब्ध है, ऐतिहासिक गूगल चित्र की उपलब्धता, कोई समीपवर्ती पट्टे नहीं हैं (समीपवर्ती पट्टों के मामले में समीपवर्ती पट्टों का डेटा उपलब्ध है)।

⁶⁵ नौ पत्थर पट्टे जहां खनन पट्टे की केएमएल फाइल का आकार और आकृति खसरा मानचित्र से मेल खाता था और चार पत्थर पट्टे जहां खनन पट्टे के केएमएल फाइल का आकार और आकृति मेल नहीं खाता था।

⁶⁶ विभाग के अधिकारियों ने निष्कर्षण के कोण को 90° मानकर अनुभागीय माप पद्धति के माध्यम से पाकुड़ के चयनित पट्टों में निष्कर्षण की मात्रा का अनुमान लगाया।

विशेषज्ञ की सहायता से अतिरिक्त उत्खनन का आयतनात्मक आकलन

लेखापरीक्षा ने बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान⁶⁷ (बीआईटी), सिंदरी को परामर्शदाता नियुक्त किया तथा इन 13 पत्थर खदानों में उत्खनित खनिजों की मात्रा की गणना के लिए बीआईटी, सिंदरी की तकनीकी राय प्राप्त करने के लिए कार्य आदेश (05 अप्रैल 2024 और 14 अगस्त 2024) जारी किया, जिसमें लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध अपेक्षित जानकारी (केएमएल फाइलें, गहराई, कोण, गड्ढे का क्षेत्र, खनन योजना आदि) उपलब्ध कराई गई। बीआईटी, सिंदरी ने तकनीकी राय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया:

- खदान की सीमाओं को डिजिटलीकरण हेतु दृश्य स्थानिक संदर्भ प्रदान करने के लिए प्रत्येक खदान स्थल की उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली उपग्रह चित्र प्राप्त की गई
- केएमएल फाइलों की तैयारी/सत्यापन और खदान की सीमाओं का डिजिटलीकरण
- ऑटोकैड सिविल 3डी सॉफ्टवेयर में उपग्रह चित्र और केएमएल फाइलों का आयात
- प्रत्येक खदान के गड्ढे का त्रिआयामी सतही मॉडल⁶⁸ तैयार करना
- कट और फिल पद्धति⁶⁹ का उपयोग करके आयतन की गणना

यह तकनीक हटाई गई सामग्री (कट) और उत्पन्न रिक्त स्थान (फिल) के बीच अंतर करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक खदान स्थल के लिए सटीक कुल उत्खनन मात्रा प्राप्त होती है।

परामर्शदाता ने उत्खनित खनिजों पर अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (02 मई 2024 और 07 अक्टूबर 2024)।

इन 13 पट्टों में लेखापरीक्षा और बीआईटी, सिंदरी द्वारा अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन पर आधारित अवलोकन निम्नानुसार हैं:

क. नौ पट्टों पर अवलोकन, जहाँ आकार और माप खसरा मानचित्र से मेल खाते थे नौ खनन पट्टों में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन, जहाँ केएमएल फाइल खसरा मानचित्र से मेल खाती थी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई थी, तालिका-4.2 में दर्शाया गया है।

⁶⁷ झारखण्ड सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत धनबाद में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज (1949 में स्थापित)।

⁶⁸ खदान की वर्तमान स्थिताकृति को दर्शाता है, जिसमें ऊंचाई संबंधी डेटा, गड्ढे की गहराई और सतही रूपरेखा शामिल है।

⁶⁹ कट आयतन: खदान के गड्ढे से उत्खनित सामग्री की मात्रा को दर्शाता है। फिल आयतन: खुदाई प्रक्रिया के दौरान बनाए गए किसी भी रिक्त स्थान या गड्ढे को दर्शाता है।

तालिका-4.2: लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई नौ खनन पट्टों (जहाँ केएमएल फ्राइल खसरा मानचित्र से मेल खाती थी) में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन

क्र. सं.	पट्टे का नाम/जिला/पट्टाधारी कोड/पट्टा अवधि	पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमानित उत्खनन क्षेत्र ⁷⁰ (हेक्टेयर में)		अनुमानित उत्खनन मात्रा (लाख घन मीटर में)		प्रतिवेदित उत्पादन ⁷¹ (लाख घन मीटर में)		अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन (लाख घन मीटर में)		कुल अतिरिक्त उत्पादन (लाख घन मीटर में)	
			अंदर बाहर		पट्टा क्षेत्र		पट्टा क्षेत्र		पट्टा क्षेत्र		कुल क्षेत्र	
			अंदर	बाहर	अंदर	बाहर	अंदर	बाहर	अंदर	बाहर	(अंदर+बाहर)	
1	मेसर्स जयशंकर स्टोन वर्क्स, चतरा, 308336601, 14.7.14 से 13.7.24	0.713	0.71	2.98	2.71	10.61	0.80	0.00	1.91	10.61	12.52	
2	मेसर्स चटनिया माइंस, चतरा, 308156501, 24.10.19 से 23.10.29	2.83	0.65	0.78	1.92	2.15	1.92	0.19	0.00	1.96	1.96	
3	मेसर्स जय शिव कंस्ट्रक्शन, चतरा, 308336901, 12.2.15 से 11.2.25	1.03	0.86	1.10	4.41	5.82	1.44	0.00	2.97	5.82	8.79	
4	मेसर्स ट्रस्टलाइन माइनिंग एंड मिनरल्स, चाईबासा, 101597101, 18.1.16 से 17.1.26	18.93	4.22	1.09	18.15	4.10	14.30	0.00	3.85	4.10	7.95	
5	मेसर्स राज कुमार खुराना, पलामू, 411354101, 17.8.13 से 16.8.23	4.05	2.23	0.95	13.42	5.80	13.42	0.02	0.00	5.78	5.78	
6	मेसर्स श्याम स्टोन माइंस, पलामू, 411355001, 23.7.15 से 22.7.25	4.856	3.51	3.30	14.27	6.72	10.74	0.00	7.55	10.74	20.52	
7	मेसर्स सोना स्टोन चिप्स, पलामू, 411354301 12.12.13 से 11.12.23	0.96	0.84		2.84	0.61			2.23			
8	मेसर्स बगैया स्टोन माइन, पलामू, 411353903, 08.1.12 से 07.1.22	4.046	3.61	0.33	25.88	0.30	11.94	0.00	13.94	0.30	14.24	
9	मेसर्स न्यू थ्री स्टार माइंस, पाकुड़, 623160603, 20.3.20 से 19.3.30	2.34	1.95	0.87	3.36	1.48	1.52	0.00	1.84	1.48	3.32	
	कुल	39.755	18.58	11.40	86.96	41.00	52.67	0.21	34.29	40.79	75.08	

तालिका-4.2 से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा द्वारा नौ पट्टों में कुल 75.08 लाख घन मीटर अतिरिक्त उत्खनन का अनुमान लगाया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुष्टि करते हुए, बीआईटी सिंदरी ने 76.54 लाख घन मीटर अतिरिक्त उत्खनन

⁷⁰ क्षेत्र मापने के लिए उपग्रह चित्र (फरवरी 2021 से नवम्बर 2022) पर विचार किया गया।

⁷¹ विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4.1 और 4.2 में दिया गया है।

का अनुमान लगाया। इस प्रकार, चार जिलों के इन पट्टों में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन में (लेखापरीक्षा और बीआईटी, सिंदरी के बीच) कुल अंतर केवल 1.46 लाख घन मीटर (1.94 प्रतिशत) था।

- **नौ पट्टों में पट्टा क्षेत्र के अंदर:** लेखापरीक्षा ने 86.96 लाख घन मीटर पत्थर उत्खनन का अनुमान लगाया, जबकि पट्टाधारकों ने जनवरी 2012 से सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए 52.67 लाख घन मीटर पत्थर उत्खनन प्रतिवेदित किया। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा 34.29 लाख घन मीटर पत्थर निष्कर्षण कम प्रतिवेदित किया गया, जिसका मूल्य ₹ 107.33 करोड़⁷² था।
- **नौ पट्टों में पट्टा क्षेत्र के बाहर:** लेखापरीक्षा ने 41.00 लाख घन मीटर पत्थर उत्खनन का अनुमान लगाया जबकि पट्टाधारकों ने 0.21 लाख घन मीटर प्रतिवेदित किया था⁷³, परिणामस्वरूप जनवरी 2012 से सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए पट्टाधारकों द्वारा 40.79 लाख घन मीटर पत्थर कम प्रतिवेदित किया गया, जिसका मूल्य ₹ 127.67 करोड़⁷⁴ था।

केस स्टडी-4.6 में पाँच मामलों को दर्शाया गया है।

केस स्टडी-4.6

1. मेसर्स जय शंकर स्टोन वर्क्स, चतरा

मेसर्स जय शंकर स्टोन वर्क्स, चतरा को चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के मौजा दलकोमा में 0.713 हेक्टेयर भूमि पर 10 वर्ष (14.07.2014 से 13.07.2024) की अवधि के लिए पट्टा प्रदान (जून 2014) किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (23 मई 2023 को) के दौरान, दल ने पाया कि पट्टेधारी ने 39.60 मीटर गहराई तक लंबवत खुदाई करके अनुमेय सीमा को पार कर लिया था, जो खनन योजना में स्वीकृत 15 मीटर अनुमेय सीमा से अधिक था। लेखापरीक्षा ने खनन योजना में सीमा स्तंभों के उपलब्ध भू-निर्देशांकों से गूगल-अर्थ पर पट्टा क्षेत्र की केएमएल फाइल तैयार की और पट्टा क्षेत्र के अंदर 0.71 हेक्टेयर और बाहर 2.98 हेक्टेयर खुदाई पाई। लेखापरीक्षा ने ढलान और ढुलाई सड़क के अंदर अवरोधित आयतन को घटाने के बाद उत्खनन की मात्रा का अनुमान लगाया (फरवरी 2022)। इसके आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार थे:

- **कुल उत्खनन:** 13.32 लाख घन मीटर (2.71 लाख घन मीटर अंदर और 10.61 लाख घन मीटर पट्टा क्षेत्र के बाहर)।
- **प्रतिवेदित उत्खनन:** इस अवधि के दौरान 0.80 लाख घन मीटर।

⁷² 34.29 लाख घन मीटर x ₹ 313 प्रति घन मीटर = ₹ 107.33 करोड़।

⁷³ लेखापरीक्षा ने पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्पादित मात्रा की गणना पट्टाधारक द्वारा प्रतिवेदित उत्पादन की मात्रा को पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनन मात्रा (लेखापरीक्षा द्वारा गणना) के साथ समायोजित करने के बाद की।

⁷⁴ 40.79 लाख घन मीटर x ₹ 313 प्रति घन मीटर = ₹ 127.67 करोड़।

- कम प्रतिवेदन: 12.52 लाख घन मीटर (1.91 लाख घन मीटर अंदर और 10.61 लाख घन मीटर बाहर)।



चित्र-4.18: प्रदर्शित गूगल चित्र (17 फरवरी 2022) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 0.713 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (0.71 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (2.98 हेक्टेयर)

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिक उत्खनन का पता लगने से बचने के लिए, पट्टेधारी ने उत्खनित खदानों को भरना शुरू कर दिया, जैसा कि निम्न उपग्रह चित्रों में दर्शाया गया है।



चित्र-4.19: 28.12.2018 का गूगल चित्र, रिक्त भाग (लाल से रेखांकित) दर्शाया गया है




चित्र-4.20: 17.02.2022 का गूगल चित्र (उत्खनित भाग जो भरा हुआ है लाल रेखांकन से दर्शाया गया है)

2. मेसर्स चटनिया माइंस, चतरा




चित्र-4.21: गूगल चित्र (17 फरवरी 2022) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 2.83 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (0.65 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (0.78 हेक्टेयर), गहराई संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापी गई (23 मई 2023): (20 मीटर की अनुमेय गहराई के विरुद्ध 39.90 मीटर)

3. मेसर्स जय शिव कंस्ट्रक्शन, चतरा




चित्र-4.22: गूगल चित्र (30 नवंबर 2022) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 1.03 हेक्टेयर) को हरे रंग में रेखांकित किया गया है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनन क्षेत्र को पीले रंग में छायांकित किया गया है (0.86 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (1.10 हेक्टेयर), गहराई को संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापा गया है (11 मई 2023): (अनुमेय गहराई 18 मीटर के विरुद्ध 64 मीटर)

4. मेसर्स श्याम स्टोन वक्स, पलामू और मेसर्स सोना, पलामू



चित्र-4.23: गूगल चित्र (07 दिसंबर 2021) जिसमें पट्टा क्षेत्र (मेसर्स श्याम का केएमएल क्षेत्र 4.856 हेक्टेयर और मेसर्स सोना का 0.96 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनित क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (मेसर्स श्याम का 3.51 हेक्टेयर और मेसर्स सोना का 0.84 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (3.30 हेक्टेयर), गहराई संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापी गई (02 दिसंबर 2022): (12.5-24 मीटर की अनुमेय गहराई के विरुद्ध 35-45 मीटर)

5. मेसर्स राज कुमार खुराना, पलामू



चित्र-4.24: गूगल चित्र (25 फरवरी 2021) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 4.05 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (2.23 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (0.95 हेक्टेयर), गहराई संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापी गई (26 नवंबर 2022): (18 मीटर की अनुमेय गहराई के विरुद्ध 61 मीटर)

ख. चार पट्टों पर अवलोकन, जहाँ आकार और माप खसरा मानचित्र से मेल नहीं खाते थे

चार खनन पट्टों में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन, जहाँ केएमएल फ़ाइल खसरा मानचित्र से मेल नहीं खाती थी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई है, तालिका-4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.3: चार खनन पट्टों में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन दर्शाते हुए (जहाँ केएमएल फ़ाइल खसरा मानचित्र से मेल नहीं खाती), लेखापरीक्षा द्वारा

गणना की गई

पट्टे का नाम/जिला/पट्टाधारी कोड/ पट्टा अवधि	पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित उत्खनन क्षेत्र ⁷⁵ (हेक्टेयर)	अनुमानित उत्खनन मात्रा (लाख घन मीटर में)	प्रतिवेदित उत्पादन ⁷⁶ (लाख घन मीटर में)	अतिरिक्त उत्पादन (लाख घन मीटर में)
मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स, चतरा, 308013401, 26.06.14 से 25.06.24	4.04	3.30	12.44	3.06	9.38
मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चाईबासा, 101334703, 23.02.16 से 22.02.26	3.64	1.74	4.15	1.40	2.75
मेसर्स रामाशीष सिंह, पलामू, 411596801 23.03.16 से 22.03.26	4.85	6.00	13.33	9.98	3.35
मेसर्स स्काई स्टोन वर्क्स, साहिबगंज, 620829301, 06.11.17 से 05.11.27	2.86	1.50	3.18	0.21	2.97
कुल	15.39	12.54	33.10	14.65	18.45

तालिका-4.3 से स्पष्ट है कि चार जिलों के चार पट्टों में कुल अतिरिक्त उत्खनन (लेखापरीक्षा के अनुसार) 18.45 लाख घन मीटर (मूल्य ₹ 57.75 करोड़, ₹ 313 प्रति घन मीटर की दर से) थी, जबकि बीआईटी, सिंदरी की गणना के अनुसार यह 18.97 लाख घन मीटर थी। इस प्रकार, अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन में केवल 0.52 लाख घन मीटर (2.82 प्रतिशत) का समग्र अंतर (लेखापरीक्षा और बीआईटी, सिंदरी के बीच) था, जो लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुष्टि करता है।

खसरा मानचित्र और केएमएल फ़ाइल के बीच में असमानता होने के कारण, लेखापरीक्षा को पट्टा क्षेत्र के बाहर/अंदर उत्खनन का विश्लेषण करने में रुकावटों का समना करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने केवल उत्खनित मात्रा (लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित) की तुलना पट्टेधारी द्वारा प्रतिवेदित उत्पादन से की।

⁷⁵ क्षेत्र मापने के लिए उपग्रह चित्र (फरवरी 2022 से दिसम्बर 2022) पर विचार किया गया।

⁷⁶ विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4.3 में दिया गया है।

केस स्टडी-4.7 में दो मामलों को दर्शाया गया है।

केस स्टडी-4.7


1. मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स, चतरा

मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स, चतरा को चतरा के हंटरगंज ब्लॉक के मौजा दलकोमा में 4.04 हेक्टेयर भूमि के लिए 10 वर्ष का पट्टा (26 जून 2014 से 25 जून 2024 तक) प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा ने 23 मई 2023 को जि.ख.प. के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

- केएमएल फाइल (2.93 हेक्टेयर) और खसरा मानचित्र (4.04 हेक्टेयर) के बीच असमानता पाई गई।
- पट्टा क्षेत्र केएमएल फाइल के स्थान से 1.95 किमी दूर था।
- उत्खनन क्षेत्र: 3.3 हेक्टेयर (गूगल-अर्थ प्रो का उपयोग करके मापा गया)।
- उत्खनन की गहराई: 42 मीटर (स्वीकृत खनन योजना में अनुमेय 36 मीटर से अधिक)।

लेखापरीक्षा ने उत्खनन क्षेत्र को वास्तविक गहराई से गुणा कर, ढलान और ढुलाई सङ्क में अवरोधित आयतन को घटाने के पश्चात उत्खनन मात्रा की गणना की। अनुमानित उत्खनन मात्रा: (क) कुल: 12.44 लाख घन मीटर (ख) प्रतिवेदित: 3.06 लाख घन मीटर (ग) कम प्रतिवेदित: 9.38 लाख घन मीटर।



चित्र-4.25: गूगल चित्र (17 फरवरी 2022) में गलत पट्टा क्षेत्र (4.04 हेक्टेयर के स्थान पर केएमएल क्षेत्र 2.93 हेक्टेयर) दर्शाया गया है, जिसे हरे रंग से रेखांकित किया गया है, उत्खनन क्षेत्र को बैंगनी रंग से छायांकित किया गया है (3.3 हेक्टेयर)

2. मेसर्स रामाशीष सिंह, पलामू



चित्र-4.26: गूगल चित्र (13 दिसंबर 2022) में गलत पट्टा क्षेत्र (4.85 हेक्टेयर के स्थान पर केएमएल क्षेत्र 5.83 हेक्टेयर) दर्शाया गया है, जिसे हरे रंग से रेखांकित किया गया है, उत्खनन क्षेत्र को बैंगनी रंग से छायांकित किया गया है (6 हेक्टेयर), गहराई को संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापा गया है (02 जून 2023): उत्खनन की गहराई (12 मीटर की स्वीकार्य गहराई के विश्व 24.38 मीटर)

इस प्रकार, संयुक्त भौतिक सत्यापन और गूगल-अर्थ पर उपलब्ध टूल्स पर आधारित लेखापरीक्षा के अनुमान की तुलना में पट्टेधारकों ने 13 पट्टों में 93.53 लाख घन मीटर (75.08 लाख घन मीटर जैसा कि तालिका-4.2 में नौ मामलों के लिए विस्तृत है जहां केएमएल मेल खाता था + 18.45 लाख घन मीटर जैसा कि तालिका-4.3 में चार मामलों के लिए विस्तृत है जहां केएमएल मेल नहीं खाता था) कम पत्थर उत्खनन प्रतिवेदित किया था। यह कम प्रतिवेदन, पट्टा क्षेत्रों के बाहर उत्खनन के साथ मिलकर पर्यावरणीय खतरे पैदा करती है और खनिज भंडार को तेजी से कम करती है, जिससे वैज्ञानिक और सतत खनन उद्देश्य कमजोर होते हैं। इसके अलावा, सरकार को भी उल्लेखनीय राजस्व की हानि होती है। लेखापरीक्षा ने 13 पत्थर पट्टों के लिए खनिज उत्खनन के ऐसे अतिरिक्त उत्खनन के संभावित वित्तीय निहितार्थ का अनुमान ₹ 292.75 करोड़ {93.53 लाख घन मीटर (अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा) x ₹ 313.00 प्रति घन मीटर (खनिज का मूल्य)} लगाया।

ये अवलोकन विभाग को जमीनी स्तर की स्थिति से अवगत कराने के लिए अनुमान पर आधारित हैं। खनिज उत्खनन की कम प्रतिवेदन की सही मात्रा का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा आगे विस्तृत जाँच की आवश्यकता है।

उपरोक्त अवलोकनों के अलावा लेखापरीक्षा ने पाया

(i) आवश्यक सीमा स्तंभों और सुरक्षा अवरोधों का अनुपस्थिति: 63 में से 46 मामलों में या तो सीमा स्तंभ पूरी तरह से अनुपस्थित थे (30) या केवल

आंशिक रूप से पाए गए (16)। इसके अलावा, चयनित जिलों में 63 में से 62 पट्टों में, सुरक्षा अवरोध को कम कर दिया गया, जो कि आवश्यक 7.5 मीटर के स्थान पर 0 से 7 मीटर तक था जैसा कि चित्र-4.27 में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप सुरक्षा अवरोधों पर वृक्षारोपण के लिए जगह कम हो गई।



तीन जिलों⁷⁷ में नौ समीपवर्ती पट्टों में दो पट्टों के बीच कोई सीमा दीवार नहीं थी, जो सुरक्षा अवरोधों में अवरुद्ध गैर-खनिज संसाधनों के उत्खनन को दर्शाता है, जैसा कि चित्र-4.28 में दिखाया गया है।



(ii) अधिक उत्खनन को छिपाने के लिए पट्टेधारकों द्वारा अपनाई गई पद्धति: तीन जिलों⁷⁸ के तीन पट्टों के खनन योजना की जाँच से पता चला कि वर्तमान पट्टेधारकों की पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद, 6.55 लाख घन मीटर खनन योग्य पत्थर

⁷⁷ चाईबासा, चतरा और पाकुड़।

⁷⁸ पाकुड़, पलामू और साहिबगंज।

भंडार⁷⁹ शेष थे। इसका मतलब है कि वर्तमान पट्टेधारी ने खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति/सीटीओ में अधिदिष्ट अपने हिस्से की सामग्री निकाल ली थी। भंडार के हास (सीमित/ निर्धारित अनुमेय उत्खनन) को ध्यान में रखते हुए शेष भंडार अगले पट्टेधारकों को पुनः आवंटित की जाती। लेखापरीक्षा ने पाया कि पाकुड़ और साहिबगंज के दो पट्टों में, पट्टेधारकों ने अन्य स्थानों से लाए गए स्टोन डस्ट/मिट्टी का उपयोग करके गड्ढे को भरना शुरू कर दिया/भर दिया, जबकि पलामू के एक पट्टे में, पट्टेधारी ने खदान को जलाशय में बदल दिया। पट्टेधारकों की कार्रवाई से संकेत मिलता है कि पट्टेधारियों ने इन खदानों से अनुमेय सीमा से अधिक सामग्री निकाली थी।

उत्खनित भूमि के भरने में यह जोखिम निहित था कि पट्टेधारियों ने अतिरिक्त उत्खनन को छिपाने तथा उत्खनन क्षेत्र की मापी से बचने के उद्देश्य से ऐसा किया, ताकि जि.ख.प. द्वारा माँग निर्धारण से बचा जा सके, जैसा कि चित्र-4.29 और 4.30 में दर्शाया गया है।



(iii) अपेक्षित माप नहीं किया जाना: लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-22 की अवधि के दौरान, खनन एवं भूतत्व विभाग के अधिकारी ने विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कोई आवधिक निरीक्षण नहीं किया। खनन एवं भूतत्व विभाग को उत्खनन की वास्तविक मात्रा को सत्यापित करने के लिए कम से कम 20 प्रतिशत पट्टों का वार्षिक अनुभागीय माप करना आवश्यक था। नमूना जाँचित छह जिलों में विभाग के अधिकारियों ने मौजूदा लघु खनिज पट्टों में से केवल 0.68 से 3.17 प्रतिशत का वार्षिक अनुभागीय माप किया। इस प्रकार, ये उपाय

⁷⁹ मेसर्स लुफ्टुल हक, पाकुड़, पट्टेधारी कोड- 623955701, पट्टा अवधि 15 सितंबर 2017 से 14 सितंबर 2027, शेष खनन योग्य भंडार- 2,03,045.20 घन मीटर, मेसर्स बग्या स्टोन माइंस, पलामू, पट्टेधारी कोड- 411353903, पट्टा अवधि 08 जनवरी 2012 से 07 जनवरी 2022, शेष खनन योग्य भंडार- 60,235 घन मीटर, मेसर्स कृष्णा साह, साहिबगंज पट्टेधारी कोड- 620779003, पट्टा अवधि 02 अप्रैल 2015 से 01 अप्रैल 2025, शेष खनन योग्य भंडार- 3,92,367.40 घन मीटर।

पट्टा क्षेत्र से परे उत्खनन/अतिरिक्त उत्खनन का निर्धारण करने और अधिनियम/नियमावली में दिए गए दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 2017 के नियम 34A के अनुरूप झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में आधुनिक प्रौद्योगिकी (जैसे ड्रोन सर्वेक्षण) के उपयोग को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि पट्टेधारियों द्वारा अत्यधिक उत्खनन के मामलों का पता लगाया जा सके और तदनुसार अर्थदंड लगाया जा सके।

(iv) **अनधिकृत/अवैध उत्खनन को रोकने के लिए नियमों में विसंगतियाँ:** जमीनी स्थिति के मद्देनजर, लेखापरीक्षा ने पुनः 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य में उपभोग योग्य लघु खनिजों⁸⁰ से स्वामिस्व संग्रह का विश्लेषण करने के लिए खान निदेशक द्वारा प्रस्तुत स्वामिस्व संग्रह प्रतिवेदन की जाँच की। यह पाया गया कि 2017-22 के दौरान चार लघु खनिजों (यानी पत्थर, ईंट-मिट्टी, बालू और मोरम) के पट्टेधारकों से ₹ 1,554.81 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया था। इसी अवधि के दौरान, विभिन्न कार्य विभागों द्वारा नियोजित निर्माण संवेदकों से स्वामिस्व और स्वामिस्व के बराबर अर्थदंड के रूप में ₹ 1,550.34 करोड़ संग्रह किए गए, जैसा कि तालिका-4.4 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.4: वर्ष 2017-22 के दौरान खनन पट्टों से प्राप्त स्वामिस्व तथा कार्य विभाग से प्राप्त स्वामिस्व एवं स्वामिस्व के बराबर अर्थदंड के योगदान के बीच प्रदर्शित तुलना

लघु खनिज का नाम	राज्य में कुल संग्रहण (लाख ₹ में)					
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
पत्थर (पट्टा/परमिट)	22,781.66	26,127.46	26,983.26	36,021.61	38,179.96	1,50,093.95
ईंट-मिट्टी (पट्टा/परमिट)	452.50	530.78	631.84	781.50	830.62	3,227.24
बालू (पट्टा/परमिट)	226.87	140.47	175.67	901.46	192.02	1,636.49
मोरम	385.84	3.35	6.67	120.42	7.48	523.76
साधारण मिट्टी	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
पट्टा/परमिट से कुल	23,846.87	26,802.06	27,797.44	37,824.99	39,210.08	1,55,481.44
कार्य विभाग (कार्य संवेदकों से प्राप्त स्वामिस्व और स्वामिस्व के बराबर अर्थदंड)	31,559.90	34,214.73	31,282.85	33,422.74	24,553.68	1,55,033.90
निर्माण कार्यों में प्रयुक्त लघु खनिजों से कुल संग्रहण	55,406.77	61,016.79	59,080.29	71,247.73	63,763.76	3,10,515.34
कार्य अनुबंध में प्रयुक्त लघु खनिजों से कुल प्राप्तियों में कार्य संवेदकों से प्राप्तियों की प्रतिशतता	56.96	56.07	52.95	46.91	38.51	49.93

स्रोत: निदेशक, खान से प्राप्त सूचना।

⁸⁰ झारखण्ड सरकार के कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित दर की अनुसूची के अनुसार, पत्थर, बालू, मोरम, ईंट-मिट्टी और साधारण मिट्टी निर्माण/विकास कार्यों के निष्पादन में उपभोग्य लघु खनिज हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि लघु खनिजों (पट्टों और परमिटों) के राजस्व का 95 प्रतिशत से अधिक पत्थर से प्राप्त हुआ, जबकि अन्य लघु खनिजों का कुल योगदान पाँच प्रतिशत से भी कम था। इसके अलावा, विभाग ने 2017-22 के दौरान निर्माण विभागों से ₹ 1,550.34 करोड़ संग्रह किए, जो लघु खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत था। इस प्रकार, अधोषित स्रोतों से प्राप्त खनिजों के लिए कार्य संवेदकों से स्वामिस्व की दोगुनी दर से संग्रहण इन लघु खनिजों के घोषित स्रोतों से राजस्व संग्रहण के लगभग बराबर था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 54 और 55 के बीच विसंगतियां हैं। नियम 54 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति वैध पट्टे/परमिट के बिना लघु खनिज निकालता/परिवहन करता है तो उसे अवैध उत्खनन में भागीदार माना जाएगा। इसके अलावा, नियम में कानूनी कार्रवाई या/और किराये, स्वामिस्व इत्यादि के अतिरिक्त अवैध रूप से निकाले/परिवहन किए गए खनिजों की कीमत का दोगुना अर्थदंड वसूलने का प्रावधान है। जबकि, उक्त नियमावली का नियम 55 कार्य विभागों के संवेदकों को केवल स्वामिस्व के बराबर अर्थदंड भुगतान करके अधोषित स्रोतों से खनिजों का उपयोग करने में सक्षम बनाकर उन्हें अवैध/अनधिकृत उत्खनन में भागीदार होने से मुक्त करता है, जो नियम 54 के प्रावधान के मूलभाव, यानि अवैध खनन के निवारक के रूप में विरोधाभासी है। अतः, राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 55 को नियम 54 के अनुरूप पुनःसंरेखित किया जाए, ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

4.1.4.2 पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, खनन पट्टों की सुरक्षा अवरोधों पर वृक्षारोपण किया जाना था। तदनुसार, पट्टेधारियों को प्रथम पाँच-वर्षीय योजना अवधि के पहले वर्ष में सुरक्षा अवरोध पर ग्रिड पैटर्न में अनुशंसित मात्रा में पेड़ लगाने और बाद की पट्टा अवधि के दौरान उनकी देखभाल करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जिलों में नमूना जाँचित 63 पट्टों में से 61 में, प्रस्तावित 74,676 पौधों के मुकाबले केवल 2,225 पौधे ही लगाए गए, परिणामस्वरूप वृक्षारोपण में 20 से 100 प्रतिशत तक की कमी आई (केस स्टडी-4.8 में दर्शाया गया है)।

सीटीओ के नवीकरण के समय, जेएसपीसीबी वृक्षारोपण, वायु गुणवत्ता मानक को बनाए रखने इत्यादि जैसी शर्तों के अनुपालन की सत्यापित करता है। लेखापरीक्षा ने धनबाद जिले में नमूना जाँचित 10 पत्थर पट्टों के मामले में सीटीओ के नवीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, जेएसपीसीबी, धनबाद द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर प्रतिवेदन की प्रतियों के बारे में जानकारी माँगी। 10 निरीक्षण प्रतिवेदनों (02 मई 2020 और 03 सितंबर 2022 के बीच किए गए निरीक्षणों की) की नमूना

जाँच से पता चला कि सीटीओ का नवीकरण वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लागू अधिनियम/नियमावली की शर्तों के अनुपालन के लिए पट्टेधारी द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर किया गया था। निरीक्षण दल ने सभी 10 मामलों में कुछ वृक्षारोपण की सूचना दी, जिसे प्रतिवेदन में मात्राबद्ध नहीं किया गया था।

सीटीओ के सशर्त नवीकरण को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। क्षेत्रीय पदाधिकारी हजारीबाग द्वारा हंटरगंज, चतरा में किए गए निरीक्षण पर एक केस स्टडी-4.8 में दर्शाया गया है।

केस स्टडी-4.8

क्षेत्रीय पदाधिकारी (जेएसपीसीबी क्षेत्रीय कार्यालय, हजारीबाग) ने सीटीओ शर्तों के अनुपालन के लिए अंचल- हंटरगंज, चतरा में दो पट्टों⁸¹ का भौतिक सत्यापन किया (27 जुलाई 2022)। जेएसपीसीबी ने निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इन दो पट्टों के लिए सीटीओ जारी किए थे, जिसमें पदाधिकारी ने बताया था कि इन दोनों पट्टों को छह फीट ऊंचे कंक्रीट के खंभों और जाल से घेरा गया था और पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया था।

लेखापरीक्षा ने खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ इन पट्टों की संयुक्त भौतिक सत्यापन⁸² किया और पाया कि पट्टा क्षेत्र को कंक्रीट के खंभों के सहारे जाल से नहीं घेरा गया था। इसके अलावा, पट्टा क्षेत्र में कोई वायु, जल और ध्वनि निगरानी स्टेशन उपलब्ध नहीं थे। हरित पट्टी क्षेत्र (वृक्षारोपण के लिए) की चौड़ाई, खनन गड्ढे क्षेत्र के चारों ओर समान रूप से 7.5 मीटर की बजाय 0.5-2 मीटर और 01-7.5 मीटर थी। हरित क्षेत्र में कोई वृक्षारोपण उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय पदाधिकारी, जेएसपीसीबी द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के 5-10 महीने बाद ही संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और इन विरोधाभासी अवलोकनों को देखा। इस प्रकार, क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन पर आधारित प्रतिवेदन अविश्वसनीय और गलत थी, जैसा कि नीचे दिखाए गए चित्र से स्पष्ट है:

⁸¹ (i) मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स (पट्टेधारी कोड- 0308013401), चतरा (पट्टा अवधि 26 जून 2014 से 25 जून 2024, पट्टा क्षेत्र- 4.04 हेक्टेयर, हरित पट्टी- 1.05 हेक्टेयर), (ii) मेसर्स जयशंकर स्टोन इंडस्ट्रीज (पट्टेधारी कोड- 0308027801), चतरा, पट्टा अवधि (24 नवंबर 2015 से 23 नवंबर 2025, पट्टा क्षेत्र 3.645 हेक्टेयर, हरित पट्टी- 0.896 हेक्टेयर)।

⁸² मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स (संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि- 23 मई 2023), मेसर्स जयशंकर स्टोन इंडस्ट्रीज (संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि- 08 दिसंबर 2022)।



चित्र-4.31: हरित क्षेत्र पर सहायक स्तंभों के साथ कोई बाड़ और कोई वृक्षारोपण नहीं (मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीर)

जैसा कि कंडिका-4.1.3.7 में चर्चा की गई है, पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करने के लिए, पट्टेधारियों को वास्तविक समय के आंकड़ों की रिकॉर्डिंग की सुविधाओं के साथ वायु, जल और ध्वनि निगरानी स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने आगे 63 नमूना जाँचित पट्टों (साहिबगंज के एक पट्टे को छोड़कर) में देखा कि पट्टा क्षेत्र के अंदर वायु, जल और ध्वनि निगरानी स्टेशन स्थापित नहीं किए गए थे।

नमूना जाँचित 51 में से 40 कार्यरत पट्टों से संबंधित खनन योजना में, बारिश के पानी को खनन गड्ढे में प्रवेश करने से रोकने के लिए गड्ढे के चारों ओर मालारूपी नालियों (तलछट टैंक से जुड़ी) का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, 40 में से 38 पट्टों में, इन नालियों का निर्माण संबंधित खनन योजना प्रस्ताव के अनुरूप नहीं किया गया था।

नमूना जाँचित 51 कार्यरत पट्टों में से 15 में बाहर पड़े मिट्टी के ढेर के चारों ओर पैरापेट दीवारें निर्मित की जानी थीं, ताकि सीमांकित क्षेत्र में ओवरबर्डन रखा जा सके। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 पट्टों में इनका निर्माण नहीं किया गया था और ढेर सीमांकित क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर पड़ा हुआ पाया गया, जैसा कि चित्र-4.32 में दिखाया गया है।



चित्र-4.32: पलामू में पट्टा क्षेत्र (सीमांकित स्थान के अलावा) के बाहर पट्टा ढेर, पट्टाधारी कोड- 411596801 संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि (02 जून 2023)

इस प्रकार, स्वीकृत क्षेत्र से अधिक खनन और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का अनुचित कार्यान्वयन प्रगामी खान समापन योजना का उल्लंघन था, जिसमें पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न प्रस्तावों का विवरण दिया गया था। इनका कार्यान्वयन न होने से खदानों में सुरक्षात्मक, पुनरुद्धार और पुनर्वास उपायों के उद्देश्य विफल हो गए।

4.1.5 अंतिम खान समापन योजना का कार्यान्वयन

लघु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2010 (आईबीएम द्वारा लघु खनिज के लिए तैयार) के नियम 17E(3) के अनुसार, पट्टाधारी को खनन पट्टा विलेख निष्पादित करने से पहले राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करना होगा। झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34G के अनुसार, यदि खनन पट्टा/परमिट धारक सुधार और पुनरुद्धार कार्य करने में विफल रहता है, तो इसकी लागत वित्तीय आश्वासन से वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अंतिम खान समापन योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

- लघु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2010 के अनुसार, खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए उपयोग में लाए गए खनन पट्टा क्षेत्र के लिए वित्तीय आश्वासन की दर ₹ 15,000 प्रति हेक्टेयर थी, जो श्रेणी बी की खदानों के लिए न्यूनतम ₹ 50,000 थी। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नहीं किया गया, जबकि बहुत खनिजों के मामले में, वित्तीय आश्वासन की दर को फरवरी 2017 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दो बार संशोधित किया गया और ₹ 15,000 (अप्रैल 2003 से प्रभावी) से बढ़ाकर ₹ 3.00 लाख प्रति हेक्टेयर (नवंबर 2021 से प्रभावी) कर दिया गया, जो श्रेणी बी की खदानों के मामले में न्यूनतम ₹ 5.00 लाख है। खनन योजनाओं की जाँच से पता चला कि

नमूना जाँचित जिलों के 63 मामलों⁸³ में, वित्तीय आश्वासन की गणना के लिए प्रति हेक्टेयर अलग-अलग दरें (13 मामले: ₹ 15,000, 40 मामले: ₹ 25,000, दो मामले: ₹ 2.00 लाख, छह मामले: खनन योजना में गणना नहीं की गई, दो मामले: खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया) आरक्यूपी द्वारा प्रस्तावित की गई थीं और प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई थीं। भिन्नता का कारण खनन योजना में विभिन्न आरक्यूपी द्वारा 40 मामलों में श्रेणी ए के लिए निर्धारित बहुत खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली की दरों (₹ 25,000) और दो मामलों में श्रेणी बी खानों के लिए दरों (दो मामले: ₹ 2.00 लाख) को अपनाना था। परिणामस्वरूप विभिन्न खनन पट्टों के बीच एक विशेष समय अंतराल के अंदर अंतर जिला/अंतःजिला स्तर पर वित्तीय आश्वासन की दरों में भिन्नता हुई।

- नमूना जाँचित जिलों के 63 पट्टों में से 49 में, पट्टेधारियों द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (25 मामले), बैंक गारंटियों (23 मामले), एलआईसी पॉलिसी (एक मामला) के रूप में ₹ 49.29 लाख का वित्तीय आश्वासन जि.ख.प. को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करने के तीन तरीकों में से, एलआईसी पॉलिसी स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि पट्टेधारी की पत्नी इस पॉलिसी में नामित थी। 23 में से 21 कार्यशील पट्टों (अक्टूबर 2023 तक अर्थात लेखापरीक्षा की तिथि तक) में ₹23.56 लाख का बैंक गारंटी समाप्त हो गया था। सभी छह नमूना जाँचित जिलों के 14 मामलों⁸⁴ में, ₹ 7.55 लाख का वित्तीय आश्वासन जि.ख.प. के पास उपलब्ध नहीं था।
- 63 पत्थर पट्टों में से 12 में, जहाँ मई 2019 से जुलाई 2023 के दौरान पट्टे की अवधि समाप्त हो गई थी, जि.ख.प. ने पट्टेधारियों को अंतिम खान समापन योजना प्रस्तुत किए बिना या उनके ₹ 15.00 लाख के वित्तीय आश्वासन के हिस्से⁸⁵ को जब्त किए बिना पट्टा क्षेत्र से निकलने की अनुमति दी। इस अनदेखी ने केस स्टडी-4.9 में दर्शाए गए पुनरुद्धार और पुनर्वास गतिविधियों को लागू करने में बाधा उत्पन्न की।

केस स्टडी-4.9

मेसर्स महादेव स्टोन प्रोडक्ट के मामले में, 4.35 हेक्टेयर क्षेत्र पर पट्टा 18 सितंबर 2023 को समाप्त हो गई थी, और खनन गड्ढे को संकल्पनात्मक योजना के अनुसार जलाशय में परिवर्तित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने गूगल इमेज पर

⁸³ चाईबासा (सात कार्यरत + तीन समाप्त), चतरा (नौ कार्यरत + एक समाप्त), धनबाद (नौ कार्यरत + एक समाप्त), पाकुड़ (पाँच कार्यरत + तीन समाप्त), पलामू (दस कार्यरत + दो समाप्त), साहिबगंज (11 कार्यरत + दो समाप्त)।

⁸⁴ चाईबासा (तीन समाप्त), चतरा (एक समाप्त), धनबाद (एक कार्यरत), पाकुड़ (एक कार्यरत + दो समाप्त), पलामू (दो कार्यरत + एक समाप्त), साहिबगंज (एक कार्यरत + दो समाप्त)।

⁸⁵ 10 मामलों में वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया गया और दो मामलों में खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया।

केएमएल फाईल तैयार की और पाया कि 3.72 हेक्टेयर के बजाय, कुल पट्टा क्षेत्र (4.35 हेक्टेयर) की खुदाई की गई थी। आस-पास के पट्टों के साथ सीमा दीवार की अनुपलब्धता के कारण, विभिन्न पट्टों को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया, जिससे एक बड़ा खुदाई वाला गड्ढा बन गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने पाया कि वहाँ कोई बैंच और वृक्षारोपण उपलब्ध नहीं था। साथ ही, आवश्यक सुरक्षा अवरोध केवल 0.5 मीटर था, जो कि चारदीवारी के एक तरफ था। ओवरबर्डन को पट्टा क्षेत्र के अंदर ढेर किया गया था और चार में से तीन चारदीवारी नहीं पाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पट्टेधारी अंतिम खान समापन योजना और वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करने में विफल रहा, हालांकि उसे इस उद्देश्य के लिए ₹ 2.00 लाख जमा करने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, प्रगामी खान समापन योजना के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।



चित्र-4.33: महादेव स्टोन प्रोडक्ट का पट्टा (संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि 07 अक्टूबर 2023)



चित्र-4.34: केएमएल फाईल (गूगल चित्र दिनांक 16 जनवरी 2022), 4.40 हेक्टेयर, अन्य समाप्त हो चुके पट्टों से घिरा हुआ पट्टा क्षेत्र

लेखापरीक्षा ने पाया कि खदानों को अवैज्ञानिक तरीके से बंद करने से वे असुरक्षित हो गई (सीमा स्तंभों, बाड़, सुरक्षा अवरोध और बैंचों के अभाव के कारण), पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिकूल (वृक्षारोपण के अभाव के कारण) हो गई और अतिदोहित (गैर-खनन योग्य संसाधनों के उत्खनन के कारण) हो गई।

4.1.6 खनन योजना के बिना खनन परिचालन

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34(A)(2) में कहा गया है कि खनन गतिविधियां अनुमोदित खनन योजना के अनुसार की जाएगी और यदि पट्टेधारी अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन गतिविधि नहीं करता है तो उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी खनन गतिविधि को निलंबित कर देगा।

तीन जिलों के 63 नमूना जाँचित खनन पट्टों में से पाँच में, पट्टेधारी ने अनुमोदित खनन योजना के बिना पत्थर की खुदाई और उत्पादन किया। इसका व्यौरा तालिका-4.5 में दिया गया है।

तालिका-4.5: पट्टे की अवधि, प्रथम पाँच वर्ष की योजना की समाप्ति तिथि और द्वितीय पाँच वर्ष योजना की स्थिति प्रदर्शित

पट्टेधारी का नाम	पट्टेधारी कोड	पट्टे की अवधि	प्रथम खनन योजना की समाप्ति तिथि	द्वितीय खनन योजना प्रस्तुत करने की तिथि और वर्तमान स्थिति	अवधि के दौरान उत्पादन (घन मी.) (खनन योजना अनुमोदित नहीं)
मेसर्स राणा उदय प्रताप सिंह, धनबाद	0204300705	30.04.2016 से 29.04.2026	29.04.2021	प्रस्तुत नहीं किया गया	68,118 (मई 2021 से जनवरी 2023)
मेसर्स उमेश कुमार और सुरेश महतो, धनबाद	0204596101	11.04.2016 से 10.04.2026	10.04.2021	प्रस्तुत नहीं किया गया	22,653 (मई 2021 से फरवरी 2023)
मेसर्स अजहर इस्लाम, पाकुड़	0623230302	25.02.2016 से 24.02.2026	24.02.2021	27.09.2022 को प्रस्तुत और अनुमोदित	1,48,839 (मार्च 2021 से अगस्त 2022)
मेसर्स महादेव स्टोन प्रोडक्ट, पाकुड़	0623325710	19.09.2013 से 18.09.2023	28.11.2019	12.09.2022 को प्रस्तुत और 14.09.2022 को अनुमोदित	1,88,334 (दिसंबर 2019 से अगस्त 2022)
मेसर्स मुमताज अहमद खान, पलामू	0411140101	14.11.2017 से 13.11.2027	13.11.2022	16.12.2022 प्रस्तुत लेकिन अनुमोदित नहीं	(संयुक्त भौतिक सत्यापन) के दौरान उत्खनन देखी गई (कोई उत्पादन प्रतिवेदित नहीं)

स्रोत: प्रथम खनन योजना, द्वितीय खनन योजना के लिए जिम्स के माध्यम से जमा आवेदन शुल्क और पट्टा विलेख।

तालिका-4.5 से यह स्पष्ट है कि, पाँच पट्टों में, द्वितीय पाँच वर्षीय योजना⁸⁶ या तो प्रस्तुत नहीं की गई थी या प्रथम पाँच वर्षीय योजना के एक से 33 महीने की समाप्ति के बाद प्रस्तुत की गई थी, लेकिन अनुमोदित नहीं की गई थी।

प्रथम पाँच वर्षीय योजना की समाप्ति और द्वितीय पाँच वर्षीय योजना की अप्रस्तुति या अनुमोदन न करने के बाद भी, पट्टेधारी ने अनधिकृत खुदाई की और 4.28 लाख घन मीटर पत्थर का उत्खनन किया। इसकी पुष्टि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान की गई थी, जहाँ चल रहे खनन कार्यों को देखा गया था, जैसा कि चित्र-4.35 में दर्शाया गया है।

⁸⁶ मेसर्स महादेव स्टोन प्रोडक्ट, पाकुड़ के मामले में प्रथम खनन योजना अवधि 29.11.2014 से 28.11.2019 थी, द्वितीय खनन योजना 14.09.2022 को अनुमोदित की गई थी अतः 29.11.2019 से 13.09.2022 के दौरान खनन अनुमोदित खनन योजना के बिना थी।



चित्र-4.35: दिनांक 13.11.2022 को प्रथम पाँच वर्षीय योजना समाप्त होने और द्वितीय पाँच वर्षीय योजना प्रस्तुत न करने के बावजूद पट्टाधारी कोड: 0411140101 (पट्टाधारी का नाम- मेसर्स मुमताज अहमद खान) भौतिक सत्यापन की तिथि (26 नवंबर 2022) को पट्टा क्षेत्र में उत्खनन करते दिखाया गया है।

अनुमोदित खनन योजना के बिना उत्खनन अनधिकृत थी, वैज्ञानिक निरीक्षण का अभाव था, और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी ने इन मामलों में खनन गतिविधियों को निलंबित नहीं किया था।

4.2 पर्यावरणीय स्वीकृति

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की पर्यावरणीय और वानिकी नीतियों की देखरेख करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव का आकलन अधिसूचना, 2006 में केन्द्र सरकार को श्रेणी 'ए' (क्षेत्र ≥ 50 हेक्टेयर) की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति और सीआ^{४७} को श्रेणी 'बी' (क्षेत्र < 50 हेक्टेयर) की परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। खानों के लिए क्लस्टर स्थिति^{४८} सहित बालू और अन्य लघु खनिजों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए स्थापित प्रक्रियाएँ (14 अगस्त 2018 से प्रभावी) तालिका-4.6 में स्पष्ट की गई हैं।

^{४७} अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत गठित एक तीन सदस्यीय समिति (अध्यक्ष, विशेषज्ञ सदस्य और सदस्य सचिव)।

^{४८} एक क्लस्टर का गठन तब किया जाएगा जब एक पट्टे की परिधि के बीच की दूरी समरूप खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे की परिधि से 500 मीटर से कम हो।

तालिका-4.6: खानों की श्रेणी, क्षेत्र और पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुमोदन की स्थिति

पट्टे का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	परियोजना की श्रेणी	आवश्यकता	जन-सुनवाई की आवश्यकता	पर्यावरणीय स्वीकृति देने का प्राधिकार
0 से 5 हेक्टेयर, व्यक्तिगत खनन पट्टा	बी2	फॉर्म 1एम, डीएसआर, प्री फिजीबिटी रिपोर्ट (पीएफआर) और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	डीआ ⁸⁹
5 हेक्टेयर तक खनन पट्टों का क्लस्टर क्षेत्र				
>5 हेक्टेयर और <25 हेक्टेयर (व्यक्तिगत खनन पट्टा)	बी2	फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना		सीआ ⁹⁰
खनन पट्टों का क्लस्टर क्षेत्र >5 हेक्टेयर और <25 हेक्टेयर के साथ >5 हेक्टेयर से अधिक कोई व्यक्तिगत पट्टा नहीं		फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना और क्लस्टर में सभी पट्टे के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)	नहीं	डीआ
>25 हेक्टेयर और <100 हेक्टेयर	बी1	फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना, ईआईए/ ईएमपी		
खनन पट्टों के क्षेत्र का क्लस्टर ≥25 हेक्टेयर के साथ व्यक्तिगत पट्टे के आकार खदान <100 हेक्टेयर		फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना और क्लस्टर में सभी पट्टे के लिए एक ईएमपी	हाँ	सीआ
>50 हेक्टेयर	ए	फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना, ईआईए/ईएमपी		पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
>50 हेक्टेयर के किसी भी व्यक्तिगत पट्टे के साथ किसी भी आकार का क्लस्टर			हाँ	

⁸⁹ श्रेणी बी2 के लघु खनिजों के लिए, जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (डीआ) की स्थापना 15 जनवरी 2016 को की गई थी। डीआ के मामलों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर 2018 को सीआ को सौंपा गया था (एनजीटी के निर्देशानुसार, दिनांक 13 सितंबर 2018)

⁹⁰ राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सीआ) की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक⁹¹ (पीपी) को तालिका-4.6 में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ, परिवेश पोर्टल⁹² के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद, पीपी सीआ/ जेएसपीसीबी और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निगरानी आंकड़ों के परिणामों सहित निर्धारित पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के अनुपालन पर छमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में अनियमितताएँ पाईं जो निम्नलिखित कंडिकाओं में विस्तारित हैं।

4.2.1 जाली सन्निहित प्रमाण-पत्र के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्णय (दिनांक 13 सितंबर 2018) के अनुपालन में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक आदेश (12 दिसंबर 2018) जारी किया था कि पाँच और 25 हेक्टेयर (कलस्टर स्थिति सहित) के बीच श्रेणी बी2 के अंतर्गत आने वाले को सीआ द्वारा श्रेणी बी1 के समकक्ष माना जाना था। इस प्रकार, 12 दिसंबर 2018 से, पाँच और 25 हेक्टेयर के बीच के खदान पट्टों के लिए पीपी द्वारा ईआईए, ईएमपी प्रस्तुत करना और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक परामर्श के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनिवार्य शर्त बन गई।

जि.ख.प. द्वारा आवेदकों को कलस्टर स्थितियों के लिए सन्निहित प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इस तरह के प्रमाण-पत्र आवेदित पट्टे के 500 मीटर के भीतर पत्थर के खनन पट्टों के कुल क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आवेदकों को सीआ से अग्रिम पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इन प्रमाण-पत्रों को आवेदन (फॉर्म 1) के साथ संलग्न करना था। कलस्टर प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन 'परिवेश पोर्टल' में उपलब्ध थे।

➤ जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि आठ मामलों में, जि.ख.प. ने सन्निहित प्रमाण-पत्र (अगस्त 2020 और अगस्त 2021 के बीच) जारी किए, जिसमें कलस्टर के अन्दर खदान पट्टों के क्षेत्र 5.00 से 7.06 हेक्टेयर के बीच थे। हालांकि, परिवेश पोर्टल में, लेखापरीक्षा ने पाया किया कि आवेदकों ने उसी संख्या के हेरफेर किए गए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे, जिसमें क्षेत्र को घटा दिया गया था अर्थात् 2.73 और 4.94 हेक्टेयर के बीच बी2 श्रेणी के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए, जैसा कि तालिका-4.7 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

⁹¹ "परियोजना प्रस्तावक" का अर्थ है एक व्यक्ति या सार्वजनिक या निजी संस्था या, जिसका परियोजना के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण है। सभी मामलों में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की माँग करने वाला आवेदन, परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाएगा।

⁹² पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए एक एकल खिड़की पोर्टल, परिवेश पोर्टल का प्रारम्भ (अगस्त 2018) किया।

तालिका-4.7: जि.ख.प. द्वारा निर्गत और आवेदकों द्वारा हेरफेर किया गया सन्निहित प्रमाण-पत्र

क्र. सं.	आवेदक का नाम	खनन पट्टे की संख्या और क्लस्टर का क्षेत्र (लागू आवेदित पट्टे सहित) (क्षेत्र हेक्टेयर में)			पर्यावरणीय स्वीकृति संख्या और तिथि	
		मूल (जि.ख.प. द्वारा)	जाली (आवेदक द्वारा)			
1	श्री अविनाश कुमार भगत	4	6.41	4	4.65	2322/2021/33 (14.07.2021)
2	मेसर्स सीबी स्टोन वर्क्स	2	5.27	1	2.73	2446/2021/188 (30.10.2021)
3	मो. नजीमुद्दीन	3	5.54	3	4.32	2407/2021/149 (23.09.2021)
4	मेसर्स फोर स्टार स्टोन वर्क्स	2	5.00	2	4.67	2414/2021/136 (23.09.2021)
5	मेसर्स मनोज स्टोन वर्क्स	2	5.36	2	4.94	2323/2021/45 (13.07.2021)
6	मेसर्स राजीव रंजन पांडे	3	6.75	2	4.02	2447/2021/187 (30.10.2021)
7	मेसर्स श्रीगुरु स्टोन वर्क्स	4	7.06	2	3.29	2452/2021/197 (30.10.2021)
8	मेसर्स जिशान स्टोन वर्क्स	3	5.40	2	2.75	2433/2021/132 (23.09.2021)

चित्र-4.36: श्री अविनाश कुमार भगत को निर्गत मूल और जाली सन्निहित प्रमाण-पत्र दर्शाया गया है

6.41 हेक्टेयर क्षेत्र का मूल प्रमाण-पत्र

स्रोतः जि.ख.प., पाकड़ द्वारा संधारित पट्टा
फाइल

4.65 हेक्टेयर क्षेत्र का जाली प्रमाण-पत्र

स्रोत: परिवेश पोर्टल

ऐसे जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर सीआ ने बी2 श्रेणी (0 से 5 हेक्टेयर) के अंतर्गत आठ आवेदकों को अग्रिम पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया (जैसा कि तालिका-4.7 में विस्तृत है) और जि.ख.प., पाकुड़ ने खनन पट्टा प्रदान किया। इन जाली प्रमाण-पत्रों पर पट्टे प्राप्त करने के बाद, पट्टेधरियों ने 2022-23 और 2023-24 के बीच अनधिकृत रूप से ₹ 19.88 करोड़ (6.35 लाख घन मीटर x ₹ 313 प्रति घन मीटर) मूल्य के 6.35 लाख घन मीटर के पत्थर (मार्च 2024 तक) की खुदाई की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने आवेदक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों की तिर्यक-जाँच करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की है, परिणामस्वरूप सीआ द्वारा हेरफेर किए गए दस्तावेजों के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया था। विभाग मामले की विस्तृत जाँच के लिए दोषी आवेदकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार कर सकता है और जि.ख.प. और सीआ के बीच तिर्यक-जाँच प्रणाली स्थापित कर सकता है।

➤ जि.ख.प., साहिबगंज ने 23 नवंबर 2017 को मेसर्स पहाड़िया स्टोन वर्क्स⁹³ को बी2 श्रेणी (0 से 5 हेक्टेयर) के तहत सीआ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के लिए एक सन्निहित प्रमाण-पत्र जारी किया। सन्निहित प्रमाण-पत्र में कहा गया कि आवंटित पट्टे का क्षेत्र 2.22 हेक्टेयर था और 500 मीटर की परिधि के भीतर मेसर्स पार्वती स्टोन वर्क्स का खनन पट्टा (1.11 हेक्टेयर) था। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर, सीआ ने आवेदक को 04 नवंबर 2019 को बी 2 श्रेणी (0 से 5 हेक्टेयर) के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया। साहिबगंज में सन्निहित प्रमाण-पत्र और कार्यरत पट्टों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि मेसर्स पार्वती स्टोन वर्क्स के अलावा, मेसर्स एस.एस. ब्लैक स्टोन⁹⁴ का 3.64 हेक्टेयर का एक अन्य खनन पट्टा 500 मीटर की परिधि के भीतर 30 मार्च 2016 से काम कर रहा था। ये दोनों पट्टे (आवेदित पट्टा: मेसर्स पहाड़िया स्टोन वर्क्स और कार्यरत पट्टा: एस.एस. ब्लैक स्टोन) एक ही प्लॉट (प्लॉट सं. 194) पर स्थित थे और एक दूसरे से सटे हुए थे। इस प्रकार, सन्निहित प्रमाण-पत्र में क्लस्टर का क्षेत्र 3.33 हेक्टेयर (1.11 हेक्टेयर + 2.22 हेक्टेयर) के स्थान पर 6.97 हेक्टेयर होना चाहिए था और सीआ को बी2 (0 से 5 हेक्टेयर) श्रेणी के स्थान बी2 (5 से 25 हेक्टेयर) के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 500 मीटर की परिधि के भीतर कार्यरत पट्टों के उचित सत्यापन के बिना सन्निहित प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे, परिणामस्वरूप गलत प्रमाण-पत्र निर्गत किए गए थे।

⁹³ प्लॉट सं. 83, 175, 193 और 194.

⁹⁴ पट्टाधारी कोड- 0620549801, खाता सं. 3, प्लॉट सं. 79 (आं.), खाता सं. 18, प्लॉट सं. 194 (आं.), खाता सं. 11, प्लॉट सं. 198 (आं.), मौजा- बेलभट्टी, अंचल- मंडरो, पट्टा अवधि 30.03.2016 से 29.03.2026 तक।

4.2.2 खनन वाहनों से पहुँच मार्ग को नुकसान

पट्टों के आस-पास के गाँव और बस्तियों पर खनन कार्यों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निर्देश दिया (अक्टूबर 2014) कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सड़कों की वहन क्षमता में उचित रूप से वृद्धि किए बिना मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क से परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्यावरण प्रभाव आकलन की शर्तों के अनुसार, भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के तहत स्थानीय परिवहन अवसंरचना पर खनन परियोजनाओं के प्रभाव (जैसे ट्रक यातायात में अनुमानित वृद्धि, वृद्धिशील भार को संभालने में सड़क नेटवर्क की क्षमता) का आकलन के लिए आवागमन का अध्ययन करना अपेक्षित है।

ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि खानों के संपर्क मार्ग मूल रूप से ग्रामीण सड़कें थीं, जिनका निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) या अन्य योजनाओं के तहत किया गया था। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार, पीएमजीएसवाई सड़कों को यातायात की कम मात्रा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था, इसलिए, 40 टन तक के वजन वाले वाणिज्यिक वाहन (खनन वाहन) इन सड़कों के लिए उपयुक्त नहीं थे।

चतरा और पलामू जिलों के चार ब्लॉकों⁹⁵ (जहां खदानें और क्रशर केंद्रित थे) में ग्रामीण सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, 12 पीएमजीएसवाई सड़कें जो दिसंबर 2017 से जुलाई 2022 के दौरान ₹ 39.74 करोड़⁹⁶ के व्यय से बनाई गई थीं, भारी खनन वाहनों के संचालन के कारण निर्माण की तिथि से एक से पाँच वर्ष बाद पूरी तरह से/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाई गई। अन्य चार जाँचित जिलों⁹⁷ में भी संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि खानों और क्रशरों की पाँच से 10 किमी की परिधि में पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त थी।

⁹⁵ चतरा के टंडवा और हंटरगंज ब्लॉक (₹ 9.64 करोड़ की छह पीएमजीएसवाई सड़कें), पलामू के सतबरवा और छतरपुर ब्लॉक (₹ 30.10 करोड़ की छह पीएमजीएसवाई सड़कें)।

⁹⁶ ग्रामीण कार्य विभाग के अभियेखों के अनुसार।

⁹⁷ चाईबासा, धनबाद, पाकुड़ और साहिबगंज।

<p>चित्र-4.37: चतरा और पलामू ज़िलों में खनन क्षेत्र में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त (भारी खनन वाहनों के चलने के कारण) पीएमजीएसवाई सड़कें</p>	
	
<p>(एनएच 75 से सेहरा तक लिंक रोड), लंबाई-2.9 किमी, सतबरवा पलामू (संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 19 मई 2023)</p>	<p>(एनएच 99 को जोड़ने वाली तुलसीपुर से बिशुनपुर तक लिंक रोड) लंबाई-6.10 किमी, हंटरगंज, चतरा (संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 17 जून 2023)</p>

4.2.3 खनन गतिविधियों के प्रभाव पर लाभार्थियों की प्रतिक्रिया

नवंबर 2022 और अक्टूबर 2023 के बीच किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने खनन गतिविधियों के प्रभाव के बारे में पूछताछ की, और लाभार्थियों (597) से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है;

- अठारह प्रतिशत (106) ने कहा कि खनन गतिविधियां उनके समुदायिक/ निजी परिसंपत्तियों (जैसे स्कूल, मंदिर, भवन आदि) से 100 से 200 मीटर की दूरी के अंदर की जा रही थी।
- तीनों प्रतिशत (194) ने कहा कि उनकी सामुदायिक परिसंपत्तियां (जैसे सड़क, तालाब, खेल का मैदान आदि) खनन गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं और शिकायत किया कि नष्ट हुई परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए कोई परियोजना शुरू नहीं की गई थी।
- जबकि 29 प्रतिशत (171) ने कहा कि खनन गतिविधियों ने उन्हें रोजगार प्रदान किया है, लेकिन 68 प्रतिशत (407) ने शिकायत किया कि पर्यावरण को नुकसान, कृषि क्षेत्र की बर्बादी, जल स्तर कम होने, सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण तथा पुनरुद्धार कार्य न होने के कारण जीवन का स्तर गिर गया था।

4.3 खनिजों का परिवहन

झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 (27 जनवरी 2018 को अधिसूचित) के नियम 5(ii) के अनुसार, डीलरों/पट्टेधारियों

(डीम्ड डीलर के रूप में⁹⁸) को डीलर पंजीकरण प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर अपने खनिज ढोने वाले वाहनों (एमसीवी) को अपने आरएफआईडी/जीपीएस या किसी अन्य वाहन ट्रैकिंग विवरण के साथ जिम्स पोर्टल पर पंजीकृत करना आवश्यक था। इसके अलावा, नियमावली के अनुसार, खनिज/अयस्क का परिवहन निम्नलिखित तरीके से किया जाना था।

नियम 9(i, ii) और 10(ii)(a)- पट्टेधारी/डीलर अग्रिम स्वामिस्व के भुगतान के साथ जिम्स के माध्यम से फॉर्म सी/सी1 में एक विशेष स्टैक से विभिन्न माल प्राप्त करने वाले तक खनिज/अयस्क के परिवहन के लिए पारगमन परमिट के लिए आवेदन करेगा।

नियम 9(iii) और 10(ii)(b)- जि.ख.प. आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन किए गए खनिज के स्टैक/ग्रेड का सत्यापन करने के बाद जिम्स के माध्यम से पट्टेधारी/डीलर को विधिवत तैयार किए गए पारगमन परमिट (सी2) स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा।

नियम 10(v)(a)- खनिज/अयस्क के परिवहन को सामान्य रूप से चेक गेट/वेब्रिज से गुजरना है ताकि परिवहन की गई मात्रा को सत्यापित किया जा सके। जहाँ भी तौल की सुविधा नहीं थी, वहाँ आयतनात्मक माप के माध्यम से सत्यापन किया जाना था।

किसी विशेष स्टैक के लिए (सी2) में पारगमन परमिट (एक अद्वितीय संख्या) के अनुमोदन के बाद, पट्टेधारी/डीलर को खनिजों/अयस्क के परिवहन के लिए जिम्स के माध्यम से फॉर्म डी (एक अद्वितीय संख्या) में परिवहन चालान उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित जानकारी भरनी थी (पारगमन परमिट के विरुद्ध चालान की संख्या किसी विशेष स्टैक को भेजे जाने के लिए पारगमन परमिट में अनुमोदित कुल मात्रा पर निर्भर करती है)

वाहक को परिवहन चालान में निर्दिष्ट स्थान और समय सीमा के संबंध में सूचना का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

स्रोत: झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 के नियम 9 और 10

4.3.1 एमसीवी में आरएफआईडी/जीपीएस का प्रावधान न करना

खान एवं भूतत्व विभाग की वेबसाइट में वाहन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 28 मार्च 2023 तक 72,449 वाहन पंजीकृत थे, लेकिन इनमें से कोई भी वाहन पाँच वर्ष

⁹⁸ यदि कोई व्यक्ति खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत गठित और समय-समय पर संशोधित खनिज रियायत नियमावली, 1960, 2016 या झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के अंतर्गत वैध खनन पट्टा धारण करता है, तो उसे उसी पट्टे और खनिजों के लिए डीलर के रूप में पंजीकरण करने की छूट दी जाएगी। हालांकि, उसे इन नियमों के उद्देश्य के लिए डीम्ड डीलर माना जाएगा।

बीत जाने के बाद भी आरएफआईडी/जीपीएस या किसी अन्य वाहन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस नहीं था।

जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों का अवलोकन किया जहाँ खान एवं भूतत्व विभाग के साथ पंजीकृत एमसीवी, आरएफआईडी/जीपीएस अथवा किसी अन्य वाहन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस नहीं थे, जिम्स में परिवहन चालान दर्ज नहीं किए गए थे, अवास्तविक ब्यौरों के साथ कई चालान सृजित किए गए थे इत्यादि। ये मामले, जो खनिजों के परिवहन के लिए एक मजबूत प्रणाली की अनुपस्थिति का संकेत देते हैं, की चर्चा अगले कंडिकाओं में की गई है।

4.3.1.1 खनिजों का अनियमित परिवहन

झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 के नियम 10(v)(a) के अनुसार, खनिजों/अयस्कों का समस्त परिवहन सामान्यतः विभाग और/या विभाग के द्वारा अनुमोदित चेक-गेट/वेब्रिज के माध्यम से होगा। परिवहन की गई मात्रा का सत्यापन निर्दिष्ट चेक-गेट/वेब्रिज के माध्यम से किया जाएगा।

- लेखापरीक्षा ने सभी छह नमूना जाँचित जिलों में खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ 29 डीलरों⁹⁹ के परिसरों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। यह पाया गया कि 29 डीलर परिसरों¹⁰⁰ में से 20 में, वेब्रिज स्थापित किए गए थे, हालांकि, केवल सात डीलरों ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 की अवधि के लिए वेब्रिज प्रतिवेदन¹⁰¹ प्रदान की। शेष 13 मामलों में लेखापरीक्षा, इन प्रतिवेदनों के अभाव में खनिजों के अवैध परिवहन का पता लगाने के लिए परिवहन चालानों की तुलना वेब्रिज प्रतिवेदनों से नहीं कर सकी।
- लेखापरीक्षा ने दो जिलों (पलामू और साहिबगंज) के सात डीलरों के मामले में संबंधित वाहनों के लिए जिम्स में उपलब्ध तिथिवार चालान के साथ वेब्रिज प्रतिवेदन (जैसे वाहन संख्या, तौल की तिथि, खनिज का वजन) में उपलब्ध जानकारी की तुलना की। इन दोनों सूचनाओं की तुलना तालिका-4.8 में विस्तृत है:

⁹⁹ झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 के अनुसार, एक डीलर को राज्य के भीतर वाणिज्यिक लाभ के लिए खनिजों की खरीद, भंडारण, विक्रय, परिवहन या प्रसंस्करण में लगे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

¹⁰⁰ जिला (डीलर/स्थापित वेब्रिज) चाईबासा: 4/2, चतरा: 5/1, धनबाद: 5/5, पलामू: 8/6, पाकुड़: 2/1 और साहिबगंज: 5/5।

¹⁰¹ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए खनिजों को ले जाने वाले वाहनों के वजन परिणामों वाली प्रतिवेदन।

तालिका-4.8: वेब्रिज प्रतिवेदन और जिम्स में उपलब्ध परिवहन चालान के अनुसार वाहन के वजन की तुलना

वेब्रिज प्रतिवेदन बनाम जिम्स चालान	वाहनों के प्रकार	वाहनों की कुल संख्या	ट्रिप्स की कुल संख्या	परिवहन किए गए खनिज का कुल वजन
जिम्स के साथ मेल खाती हुई वाहन संख्या (परिवहन चालान उपलब्ध) (1)	ट्रक, हाइवा, डम्पर	280	720	18,318.85
जिम्स के साथ मेल नहीं खाती हुई वाहन संख्या (परिवहन चालान उपलब्ध नहीं) (2)		234	1,614	22,442.04
वेब्रिज प्रतिवेदन में वाहन संख्या का उल्लेख नहीं था (परिवहन चालान उपलब्ध नहीं है) (3)	ट्रैक्टर	उपलब्ध नहीं	2,615	11,524.42
कुल (2+3)			4,229	33,966.46
कुल योग (1+2+3)		514	4,949	52,285.31

स्रोत: दो जिलों के सात डीलरों का डेटा (पलामू: अवधि अगस्त 2022 और दिसंबर 2022 और साहिकगंज: जुलाई 2023)।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 52,285.31 मीट्रिक टन स्टोन-चिप्स/बोल्डर ले जाने वाले वाहनों द्वारा किए गए कुल 4,949 ट्रिप्स में से केवल 720 ट्रिप (14.51 प्रतिशत) में 18,318.85 मीट्रिक टन (35 प्रतिशत) भार के साथ 280 पंजीकृत वाहनों के लिए जिम्स के माध्यम से चालान जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 4,949 ट्रिप्स में से 4,229 ट्रिप्स के लिए जहां जिम्स चालान अनुपलब्ध थे, वाहनों ने 33,966.46 मीट्रिक टन स्टोन-चिप्स/बोल्डर/डस्ट ढोया, जिसमें से 11,524.42 मीट्रिक टन अन्य वाहनों पर ले जाया गया, जिसके लिए वेब्रिज प्रतिवेदन में पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था (जैसे चित्र-4.38 में दिखाए गए ट्रैक्टर), जो खनिजों के परिवहन में अनधिकृत वाहनों के उपयोग को दर्शाता है।



चित्र-4.38: दमदमी, पलामू में पट्टेधारी/डीलर (पट्टेधारी कोड- 0411722401) के बाहर खड़ा बिना पंजीकरण संख्या वाला ट्रैक्टर

वैध चालान के बिना खनिजों का परिवहन और खनिजों के परिवहन के लिए अपंजीकृत वाहनों का उपयोग इसलिए हुआ क्योंकि वाहनों द्वारा की गई सभी ट्रिप्स को वेब्रिज पर तौला नहीं गया था और जिम्स में दर्ज नहीं किया गया था। नतीजतन, इससे यह जोखिम बढ़ गया था कि डीलर बिना उचित चालान के अवैध रूप से पत्थर के चिप्स और डस्ट भेज रहे थे, और इन खनिजों पर स्वामिस्व भुगतान का अपवंचन कर रहे थे।

➤ खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, दल ने चार जिलों में पट्टा/डीलरशिप क्षेत्रों के अंदर पत्थर से लदे 28 ट्रकों को देखा। लेखापरीक्षा ने जिम्स पर इन वाहनों के परिवहन चालान रिकॉर्ड को सत्यापित किया और देखा कि जिम्स में 28 वाहनों में से 17 (61 प्रतिशत) के चालान उपलब्ध नहीं थे। वैध चालान के बिना वाहनों द्वारा खनिजों की अनधिकृत आवाजाही अवैध परिवहन का संकेत देती है और सरकारी खजाने के राजस्व के नुकसान को उजागर करती है।

चित्र-4.39 : चालान के बिना पट्टा क्षेत्र के अंदर बोल्डर लदा हुआ ट्रक



मेसर्स श्री गुरु स्टोन वर्क्स, साहिबगंज के पट्टा क्षेत्र के अंदर लदा हुआ ट्रक (JH09S3915)



एमसीसी महादेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पलामू के पट्टा क्षेत्र के भीतर लदा हुआ ट्रक (JH03T1494)

➤ जिम्स के माध्यम से सूजित परिवहन चालानों में खनिजों के विक्रेता और क्रेता का पता, परिवहन किए गए खनिज का प्रकार और मात्रा, सुपुर्दगी का स्थान, वाहन संख्या और उसका मार्ग, सुपुर्दगी की दूरी, चालानों की वैधता की अवधि आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं निहित होती हैं। तथापि, जिम्स में यह सुनिश्चित करने की कोई प्रणाली नहीं थी कि चालानों की वैधता अवधि के अंदर निर्धारित स्थान पर खनिजों की सुपुर्दगी पूरी हो गई है या नहीं।

चार नमूना जाँचित जिलों¹⁰² में सितम्बर 2021 और मार्च 2023 के बीच जारी जिम्स पर उपलब्ध 102 याद्विक चयनित परिवहन चालान के परीक्षण से पता चलता है कि

102 चतरा, धनबाद, पाकुड़ और पलामू।

- 28 वाहनों के मामले में, 35 प्रारंभिक चालान के पश्चात 50 अतिरिक्त चालान जारी किए गए थे जो पिछले चालान की समाप्ति से पूर्व ही जारी किए गए थे। ये बाद के चालान उन्हीं वाहनों के लिए 20 किमी की दूरी पर सुपुर्दगी के लिए 11 मिनट 34 सेकंड से लेकर 250 किमी की दूरी के लिए 1 घंटा 41 मिनट 41 सेकंड के समय अंतराल के साथ जारी किए गए थे, जो अवास्तविक प्रतीत होता है।
- पाँच मामलों में, यह देखा गया कि ये वाहन एक ही तारीख को दो या तीन अलग-अलग मार्गों पर परिचालन में थे, जिनमें 19 मिनट 27 सेकंड से लेकर 2 घंटे 6 मिनट 50 सेकंड तक का समय अंतराल था। पहले और बाद के मार्गों के लिए प्रेषण के स्थानों के बीच 105 किमी से 299 किमी की दूरी के बावजूद, इन वाहनों के परिचालन में होने को दर्ज किया गया था।

दोनों ही मामलों में चालान के दुरुपयोग की संभावना थी। इन अनियमितताओं से संकेत मिलता है कि जिम्स में वैध चालान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव था। इसके अलावा, वैध चालान के साथ या उसके बिना वाहनों की आवाजाही को अलग करने के लिए अपर्याप्त निगरानी तंत्र ने जिम्स से उत्पन्न चालान के माध्यम से परिवहन प्रणाली को अप्रभावी बना दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल खान एवं भूतत्व विभाग के साथ वाहनों को पंजीकृत करना और जिम्स के माध्यम से परिवहन चालान जारी करना अवैध परिवहन का पता लगाने के लिए अपर्याप्त था। वाहन ट्रैकिंग प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों से लैस चेक गेट, पट्टा/डीलर क्षेत्रों के अंदर वेब्रिज (सीसीटीवी कैमरों के साथ) की स्थापना और तौल के दौरान जिम्स के माध्यम से वास्तविक समय में चालान उत्पन्न करने के लिए एक अधिक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता थी।

4.3.1.2 खनिजों का अवैध परिवहन

लेखापरीक्षा ने (i) पट्टे क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र से अवैध रूप से निकाले गए पत्थर के परिवहन के लिए चालान परिवहन का दुरुपयोग, (ii) पारगमन परमिट/चालान के बिना समाप्त हो चुके पट्टों के खदान स्थल पर पड़े पत्थर के अंतिम स्टॉक का परिवहन, जैसे मामले देखे। ऐसा परिवहन झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 54(6) के तहत खनिजों के दोगुने मूल्य की वसूली जैसी दंडात्मक कार्रवाई को आकृष्ट करता है।

- जिम्स के आंकड़ों के अनुसार, धनबाद में एक पट्टेधारी ने 2016-18 के दौरान 1,98,950 घन फीट पत्थर के बोल्डर के प्रेषण के लिए परिवहन चालान प्राप्त किए और उसके बाद लगातार पत्थर के उत्पादन/प्रेषण के बिना 1,63,625 घन फीट का समापन शेष बनाए रखा। लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2023) किया और देखा कि भूमि अखंड थी और पट्टे क्षेत्र में कभी भी कोई खनन गतिविधि नहीं की गई थी। इस प्रकार, पट्टेधारी ने अवैध रूप से कहीं और

से निकाले गए पत्थर के बोल्डर का परिवहन के लिए 1,98,950 घन फीट (5,633 घन मीटर) परिवहन चालान का दुरुपयोग किया। इस प्रकार, पट्टेधारी झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 54 के अंतर्गत 5,633 घन मीटर पत्थर के बोल्डर के अवैध परिवहन के लिए ₹ 35.26 लाख¹⁰³ अर्थदण्ड के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

- आगे, पाकुड़ जिले में दो पट्टे 31 दिसंबर 2019 और 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गए थे, जिनमें 32,57,500 घन फीट का अंतिम भंडार था। (एक मामला: स्टोन मेटल 11,46,580 घन फीट और पत्थर बोल्डर: 13,76,770 घन फीट और अन्य मामला: पत्थर बोल्डर: 7,34,150 घन फीट)। पहले मामले में जि.ख.प. द्वारा पट्टे पर कब्जा नहीं लिया गया था, जबकि दूसरे मामले में, पट्टेधारी द्वारा इसे जि.ख.प. को सौंप दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया (13 अक्टूबर 2023 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान) कि पहले मामले में केवल 2,11,890 घन फीट स्टोन मेटल और 2,00,000 घन फीट पत्थर बोल्डर पट्टा क्षेत्र के भीतर पड़े थे, जबकि दूसरे मामले में, कोई भी स्टोन मेटल/बोल्डर (07 अक्टूबर 2023 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान) खदान स्थल पर नहीं पड़ा था। पहले मामले में पट्टेधारी ने, अवैध रूप से पट्टा क्षेत्र से 21,11,460 घन फीट/ 59,789 घन मीटर (9,34,690 घन फीट स्टोन मेटल और 11,76,770 घन फीट पत्थर बोल्डर) का परिवहन किया था, एवं उपरोक्त नियमावली के नियम 54 के प्रावधानों के तहत ₹ 3.74 करोड़ का अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन जि.ख.प. द्वारा इसे अधिरोपित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सौंपे गये खनन पट्टा स्थल से ₹ 65.07 लाख मूल्य का 7,34,150 घन फीट या 20,789 घन मीटर पत्थर बोल्डर को हटाने से रोकने में भी जि.ख.प. विफल रहे।

4.4 अनुशंसाएँ

सरकार:

- लघु खनिजों के खनन योजनाओं के मूल्यांकन हेतु भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा जारी खनन योजना मूल्यांकन मैनुअल 2014 की तर्ज पर एक मैनुअल तैयार कर सकती है, जिससे खनन योजनाओं के प्रसंस्करण, परीक्षण एवं जाँच के लिए एक मानकीकृत पद्धति स्थापित की जा सके;
- खनन योजनाओं के साथ डिफरेंशियल ग्लोबल पॉजिशनिंग प्रणाली (डीजीपीएस) सर्वेक्षण द्वारा तैयार पट्टे क्षेत्र के केएमएल फाईल की प्रस्तुति सुनिश्चित कर सकती है, इन फाईलों को सीआ को प्रस्तुत कर उपग्रह चित्रों के माध्यम से केएमएल फाईलों के संग्रहण को अद्ययन कर सकती है और खनन योजनाओं में प्रस्तावित प्रगामी खान समापन योजना को लागू कर सकती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि अंतिम खान समापन योजना पट्टाधारियों द्वारा

¹⁰³ ₹ 626 प्रति घन मीटर की दर से।

प्रस्तुत की जाए और इसके क्रियान्वयन के लिए जि.ख.प. द्वारा अनुमोदित किया जाए;

- विस्तृत जाँच कर यह सुनिश्चित कर सकती है कि कम प्रतिवेदित खनिजों के उत्खनन की वास्तविक मात्रा का आकलन किया जाए तथा झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 2017 के नियम 34A की तर्ज पर पूरे राज्य में लघु खनिज पट्टों का ड्रॉन सर्वेक्षण करने का प्रावधान कर सकती है ताकि पट्टाधारियों द्वारा अधिक उत्खनन की जाँच की जा सके और उसके अनुरूप अर्थदण्ड लगाया जा सके;
- खान एवं भूतत्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (सीआ), केंद्रीय भूजल बोर्ड और झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच समन्वय स्थापित कर सकती है, ताकि खनन योजनाओं एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके;
- खनन गतिविधियों के कारण क्षातिग्रस्त परिसंपत्तियों की पहचान और पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार के लिए आवधिक सर्वेक्षण की प्रणाली को लागू कर सकती है;
- खनिजों के परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं (तौल, ट्रैकिंग, अनुश्रवण इत्यादि) को एकीकृत करने वाली एक समग्र प्रणाली लागू कर सकती है जिससे खनिजों के अवैध परिवहन की प्रभावी अनुश्रवण एवं रोकथाम की जा सके; और
- डीलरों/पट्टा के क्षेत्रों में वेब्रिज की स्थापना सुनिश्चित कर सकती है, जिनमें प्रमाणिक रूप से तौल डेटा को वास्तविक समय में परिवहन चालान संप्रेषित करने की सुविधा उपलब्ध हो।

